वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से डाउन लोड किया जा सकता है.

# मध्यप्रदेश राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 2 ] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 8 जनवरी 2016-पौष 18, शके 1937

# भाग 3 ( 1 )

## विज्ञापन

## अन्य सूचनाएं

**मध्यप्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड,**

**( म. प्र. शासन का उपक्रम )**

**मुख्य अभियंता ( योजना एवं रूपांकन )**

ब्लाक नं. 2, शक्ति भवन, रामपुर, जबलपुर (म. प्र.) 482008

जबलपुर, दिनांक 28 नवम्बर, 2015

क्र.04-02/195/यो.रूपां./3065.—यह कि केन्द्रीय सरकार की विद्युत अधिनियम, 2003 (संशोधनों, नियमों एवं उप-नियमों सहित) की धारा-67 (2) एवं धारा-176 (2) ङ के अधीन प्रदत्त अधिकारों एवं कर्तव्यों के पालन हेतु मध्यप्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (डीम्ड ट्रांसमिशन लाईसेंसी) ने विद्युत उत्पादन गृहों से विद्युत की निकासी करने, विद्यमान अति उच्चदाब विद्युत उपकेन्द्रों से राज्य के अन्य क्षेत्रों में बिजली पहुंचाने एवं राज्य के विभिन्न उत्पादन गृहों/उपकेन्द्रों के बीच अति उच्चदाब लाइनों द्वारा अंतर्सम्पर्क स्थापित करने के उद्देश्य से 400, 220 एवं 132 किलो वोल्ट पारेषण लाइनों एवं सम्बन्धित उपकरणों की स्थापना हेतु पारेषण परियोजनायें स्वीकृत की हैं.

इन स्वीकृत पारेषण परियोजनाओं को मध्यप्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड निम्नानुसार अधिसूचित करती है:—

(1) **नाम:**—ये परियोजनायें 400, 220 व 132 किलो वोल्ट (के. वी.) लाइनों व सम्बन्धित कार्यों के निर्माण की परियोजनायें कहलायेंगी.

(2) **परियोजनाओं का विवरण:**—परियोजनाओं में सम्मिलित विभिन्न कार्यों का क्षेत्र, लाइनों की लम्बाई व अनुमानित लागत आदि का विवरण निम्नानुसार है:—

**( अ ) 400 के. व्ही. के कार्य :**

(i) **400 के. व्ही. पारेषण लाईनें :**

1. खण्डवा 400-राजगढ़ पीजीसीआईएल 220 के. व्ही. लाईन का छेगांव 400 के. व्ही. उपकेन्द्र तक लीलो कार्य लम्बाई-5 कि. मी., अनुमानित लागत-1348.77 लाख रु.

(ii) **अतिरिक्त ट्रांसफार्मर की स्थापना :**

1. 400 के. व्ही. उपकेंद्र बीना में 315 एमवीए क्षमता के 1 नम्बर अतिरिक्त पॉवर ट्रांसफार्मर की स्थापना, अनुमानित लागत-2984 लाख रु.
2. 400 के. व्ही. उपकेंद्र छेगांव में 125 एमवीएआर क्षमता का 1 नम्बर बस रिएक्टर की स्थापना, अनुमानित लागत-986 लाख रु.

**(ब) 220 के. व्ही. के कार्य :**

(i) **220 के. व्ही. पारेषण लाईनें :**

1. पीथमपुर 400-सुपर कॉरिडोर (इंदौर) 220 के. व्ही. डीसीडीएस लाईन का निर्माण कार्य (न्यूनतम लॉस एसीएसआर कंडक्टर उपयोग करके) लम्बाई-50 कि. मी. अनुमानित लागत-7066.63 लाख रु.
2. चीचली 220-उदयपुरा डीसीडीएस लाईन को 220 के. व्ही. लेबल में ऊर्जीकृत/उन्नयन करने का कार्य.
3. छतरपुर-टीकमगढ़ 220 के. व्ही. उपकेंद्र डीसीएसएस लाईन का निर्माण कार्य (न्यूनतम लॉस एसीएसआर कंडक्टर उपयोग करके), लम्बाई-110 कि. मी. अनुमानित लागत-9171.61 लाख रु.
4. बीना 220-गंजबासौदा 220 के. व्ही. लाईन का 400 के. व्ही. उपकेंद्र बीना (एमपीपीटीसीएल) तक लीलो कार्य लम्बाई-10 कि. मी. अनुमानित लागत-1245.14 लाख रु.
5. रीवा 220-रीवा यूएमएसपी (UMSP)-सीधी 220 के. व्ही. डीसीडीएस लाईन

   रीवा 220-रीवा यूएमएसपी (UMSP) 220 के. व्ही. डीसीडीएस लाईन (न्यूनतम लॉस एसीएसआर कंडक्टर उपयोग करके)-30 कि. मी.

   रीवा यूएमएसपी (UMSP)-सीधी 220 के. व्ही. डीसीडीएस लाईन-60 कि. मी. कुल लम्बाई-90 कि. मी. अनुमानित लागत-9112.98 लाख रु.

(ii) **220 के. वी. उपकेंद्र :**

(i) **नये उपकेंद्र की स्थापना :**

1. सुपर कॉरिडोर (जिला-इंदौर) में 1×160+1×63 एमवीए क्षमता के नये 220 के. वी. उपकेंद्र की स्थापना, अनुमानित लागत-8814 लाख रु.
2. 220 के. व्ही. उपकेंद्र उदयपुरा (जिला-रायसेन) का उन्नयन कर 1×160 एमवीए क्षमता के नये 220 के. व्ही. उपकेंद्र की स्थापना, अनुमानित लागत-2344 लाख रु.

(ii) **अतिरिक्त ट्रांसफार्मर की स्थापना :**

1. 220/33 के. व्ही. उपकेंद्र सूखा (जबलपुर) में 50 एमवीए क्षमता के 2 नम्बर अतिरिक्त पॉवर ट्रांसफार्मर की स्थापना, अनुमानित लागत-2185.00 लाख रु.
2. 220/132 के. व्ही. उपकेंद्र होशंगाबाद 220 में 160 एमवीए क्षमता के 1 नम्बर द्वितीय अतिरिक्त पॉवर ट्रांसफार्मर की स्थापना अनुमानित लागत-1362.00 लाख रु.
3. 220/132 के. व्ही. उपकेंद्र बड़वाहा 220 में 160 एमवीए क्षमता के 1 नम्बर तृतीय अतिरिक्त पॉवर ट्रांसफार्मर की स्थापना अनुमानित लागत-1388.00 लाख रु.

**(स) 132 के. व्ही. के कार्य :**

(i) **132 के. व्ही. पारेषण लाईनें :**

1. जुलवानिया 400—पाटी (सिलावद) 132 के. व्ही. डीसीएसएस लाईन का कार्य, लम्बाई-40 कि.मी. अनुमानित लागत-2247.93 लाख रु.
2. मांगलिया-इंदौर (साऊथ जोन), 132 के. व्ही. लाईन को प्रस्तावित 132 के. व्ही. उपकेंद्र महालक्ष्मी में लीलो कार्य, लम्बाई-3 कि. मी. अनुमानित लागत-250.93 लाख रु.
3. जुलवानिया 400-शाहपुरा 132 के. व्ही. डीसीएसएस लाईन का कार्य, लम्बाई-65 कि. मी. अनुमानित लागत-4142.24 लाख रु.
4. दतिया 220-भितरवार 132 के. व्ही. डीसीएसएस लाईन का कार्य, लम्बाई-40 कि. मी. अनुमानित लागत-2290.28 लाख रु.

5. मुंगलियाछाप 220-महावाड़िया 132 के. व्ही. डीसीएसएस लाईन का कार्य, लम्बाई-10 कि. मी. अनुमानित लागत-814.72 लाख रु.
6. सीधी 220-मड़वास 132 के. व्ही. डीसीएसएस लाईन का कार्य, लम्बाई-50 कि. मी. अनुमानित लागत-3259.52 लाख रु.
7. पनागर 220-ढीमरखेड़ा 132 के. व्ही. डीसीएसएस लाईन का कार्य, लम्बाई-65 कि. मी. अनुमानित लागत-3999.01 लाख रु.
8. पृथ्वीपुर-ओरछा 132 के. व्ही. डीसीएसएस लाईन का कार्य, लम्बाई-30 कि. मी. अनुमानित लागत-2354.37 लाख रु.
9. सिरमौर 220-अटरेला 132 के. व्ही. डीसीएसएस लाईन का कार्य, लम्बाई-35 कि. मी. अनुमानित लागत-2246.41 लाख रु.
10. उदयपुरा-तेंदूखेड़ा 132 के. व्ही. डीसीएसएस लाईन का कार्य, लम्बाई-45 कि. मी. अनुमानित लागत-2676.32 लाख रु.
11. गोहद-गोरमी 132 के. व्ही. डीसीएसएस लाईन का कार्य, लम्बाई-25 कि. मी. अनुमानित लागत-1633.32 लाख रु.
12. नरसिंहगढ़-सुठालिया 132 के. व्ही. डीसीएसएस लाईन का कार्य, लम्बाई-50 कि. मी. अनुमानित लागत-2993.88 लाख रु.
13. सतना 220-कैमोर 132 के. व्ही. लाईन का प्रस्तावित 132 के. व्ही. उपकेन्द्र उचेहरा में लीलो कार्य, लम्बाई-5 कि. मी. अनुमानित लागत-550.47 लाख रु.
14. सीधी 220-सिंहावल 132 के. व्ही. डीसीएसएस लाईन का कार्य, लम्बाई-50 कि. मी. अनुमानित लागत-3406.05 लाख रु.
15. राजगढ़ (ब्यावरा)-राघोगढ़ 132 के. व्ही. डीसीडीएस लाईन का 132 के. वी. उपकेन्द्र चाचोड़ा तक द्वितीय सर्किट का निर्माण कार्य, लम्बाई-61 कि. मी. अनुमानित लागत-1845.35 लाख रु.
16. इंदौर (जैतपुरा)-देपालपुर 132 के. व्ही. डीसीडीएस लाईन को प्रस्तावित 220 के. व्ही. उपकेन्द्र सुपर कॉरिडोर (इन्दौर) में एक सर्किट का लीलो कार्य, लम्बाई-13 कि. मी. अनुमानित लागत-846.09 लाख रु.
17. मनेरी-मंडला 132 के. व्ही. डीसीएसएस लाईन का कार्य, लम्बाई-80 कि. मी. अनुमानित लागत-5491.88 लाख रु.

(ii) **नये उपकेन्द्र की स्थापना :**

1. पाटी (सिलावद) (जिला-बड़वानी) में 1×50 एमवीए क्षमता के नये 132 के. वी. उपकेन्द्र की स्थापना, अनुमानित लागत-1325.00 लाख रु.
2. महालक्ष्मी (जिला-इंदौर) में 1×63 एमवीए क्षमता के नये 132 के. व्ही. उपकेन्द्र की स्थापन, अनुमानित लागत-1580.00 लाख रु.
3. शाहपुरा (जिला-बड़वानी) में 1×50 एमवीए क्षमता के नये 132 के. व्ही. उपकेन्द्र की स्थापन, अनुमानित लागत-1328.00 लाख रु.
4. भितरवार (जिला-ग्वालियर) में 1×50 एमवीए क्षमता के नये 132 के. व्ही. उपकेन्द्र की स्थापन, अनुमानित लागत-1328.00 लाख रु.
5. महावाड़िया (जिला-भोपाल) में 1×50 एमवीए क्षमता के नये 132 के. व्ही. उपकेन्द्र की स्थापन, अनुमानित लागत-1394.00 लाख रु.
6. मड़वास (जिला-सीधी) में 1×50 एमवीए क्षमता के नये 132 के. व्ही. उपकेन्द्र की स्थापन, अनुमानित लागत-1328.00 लाख रु.
7. ढीमरखेड़ा (जिला-जबलपुर) में 1×50 एमवीए क्षमता के नये 132 के. व्ही. उपकेन्द्र की स्थापन, अनुमानित लागत-1328.00 लाख रु.
8. ओरछा (जिला-टीकमगढ़) में 1×50 एमवीए क्षमता के नये 132 के. व्ही. उपकेन्द्र की स्थापन, अनुमानित लागत-1328.00 लाख रु.
9. अटरेला (जिला-रीवा) में 1×50 एमवीए क्षमता के नये 132 के. व्ही. उपकेन्द्र की स्थापन, अनुमानित लागत-1328.00 लाख रु.
10. तेंदूखेड़ा (जिला-नरसिंहपुर) में 1×50 एमवीए क्षमता के नये 132 के. व्ही. उपकेन्द्र की स्थापना, अनुमानित लागत-1328.00 लाख रु.
11. गोरमी (जिला-भिण्ड) में 1×50 एमवीए क्षमता के नये 132 के. व्ही. उपकेन्द्र की स्थापना, अनुमानित लागत-1328.00 लाख रु.
12. सुठालिया (जिला-राजगढ़) में 1×50 एमवीए क्षमता के नये 132 के. व्ही. उपकेन्द्र की स्थापना, अनुमानित लागत-1328.00 लाख रु.
13. उचेहरा (जिला-सतना) में 1×50 एमवीए क्षमता के नये 132 के. व्ही. उपकेन्द्र की स्थापना, अनुमानित लागत-1420.00 लाख रु.
14. सिंहावल (जिला-सीधी) में 1×50 एमवीए क्षमता के नये 132 के. व्ही. उपकेन्द्र की स्थापना, अनुमानित लागत-1328.00 लाख रु.
15. चाचोड़ा (जिला-गुना) में 1×50 एमवीए क्षमता के नये 132 के. व्ही. उपकेन्द्र की स्थापना, अनुमानित लागत-1328.00 लाख रु.

(iii) **अतिरिक्त ट्रांसफार्मर की स्थापना :**

1. 132 के. व्ही. उपकेन्द्र बेतमा में 50 एमवीए क्षमता के 1 नम्बर अतिरिक्त पॉवर ट्रांसफार्मर की स्थापना, अनुमानित लागत-601.00 लाख रु.
2. 132 के. व्ही. उपकेन्द्र अमरवाड़ा खुर्द में 50 एमवीए क्षमता के 1 नम्बर अतिरिक्त पॉवर ट्रांसफार्मर की स्थापना, अनुमानित लागत-597.00 लाख रु.
3. 132 के. व्ही. उपकेन्द्र खिरकिया में 50 एमवीए क्षमता के 1 नम्बर अतिरिक्त पॉवर ट्रांसफार्मर की स्थापना, अनुमानित लागत-605.00 लाख रु.
4. 132 के. व्ही. उपकेन्द्र आमला में 50 एमवीए क्षमता के 1 नम्बर अतिरिक्त पॉवर ट्रांसफार्मर की स्थापना, अनुमानित लागत-585.00 लाख रु.
5. 132 के. व्ही. उपकेन्द्र तेजगढ़ में 50 एमवीए क्षमता के 1 नम्बर अतिरिक्त पॉवर ट्रांसफार्मर की स्थापना, अनुमानित लागत-601.00 लाख रु.
6. 132 के. व्ही. उपकेन्द्र सतवास में 50 एमवीए क्षमता के 1 नम्बर अतिरिक्त पॉवर ट्रांसफार्मर की स्थापना, अनुमानित लागत-594.00 लाख रु.
7. 132 के. व्ही. उपकेन्द्र सीतामउ में 50 एमवीए क्षमता के 1 नम्बर अतिरिक्त पॉवर ट्रांसफार्मर की स्थापना, अनुमानित लागत-597.00 लाख रु.
8. 132 के. व्ही. उपकेन्द्र बढ़ौदा में 50 एमवीए क्षमता के 1 नम्बर अतिरिक्त पॉवर ट्रांसफार्मर की स्थापना, अनुमानित लागत-609.00 लाख रु.

(द) **फीडर बे का निर्माण कार्य :**

(i) **400 के. व्ही. फीडर बे:**

छेगांव 400 (2)

कुल 2 नम्बर, अनुमानित लागत 1062.00 लाख रु.

(ii) **220 के. व्ही. फीडर बे:**

पीथमपुर-400 (2), चीचली-220 (2), छतरपुर (1), टीकमगढ़ (1), बीना (एमपीपीटीसीएल) 400 (2), रीवा 220 (2), सीधी 220 (2), रीवा (यूएमएसपी) (4),

कुल 16 नंबर अनुमानित लागत 3190.00 लाख रु.

(iii) **132 के. व्ही. फीडर बे:**

जुलवानिया 400 (2), मांगलिया 220 (2), दतिया 220 (1), मुगलियाछाप (2), सीधी 220 (2), पनागर 220 (1), पृथ्वीपुर (1), सिरमौर 220 (1), उदयपुरा (1), गोहद (1), नरसिंहगढ़ (1), राजगढ़ (ब्यावरा) (1), मनेरी (1), मण्डला (1)

कुल 18 नंबर अनुमानित लागत 1574.00 लाख रु.

(ई) **उपभोक्ता सहभागिता कार्य :**

1. 132 के. व्ही. विभव पर स्टार्टअप पॉवर हेतु 30 एम. व्ही. ए. संविदा मॉग सहित उच्चदाब विद्युत संयोजन हेतु 220 के. व्ही. उपकेन्द्र चिचली से मेसर्स एनटीपीसी लिमिटेड के गाडरवाड़ा सुपर थर्मल पॉवर प्रोजेक्ट 2× 800 मेगावॉट पॉवर प्लांट तक 132 के. व्ही. डीसीएसएस लाईन का निर्माण कार्य, लम्बाई-1× 6.01 कि.मी. अनुमानित लागत-591.15 लाख रु.
2. 132 के. व्ही. उपकेन्द्र सुवासरा से मेसर्स कुकरू विन्ड पॉवर प्रायवेट लिमि. (मेसर्स बैतूल विंडफार्म लिमिटेड) के ग्राम-खामला और तहसील-भैंसादेही के समीप, जिला बैतूल में प्रस्तावित 52.8 मेगावाट पवन ऊर्जा विद्युत गृह तक 132 के. व्ही. डीसीएसएस लाईन के द्वितीय परिपथ का निर्माण कार्य, लम्बाई-1×23.00 कि. मी. अनुमानित लागत-341.41 लाख रु.
3. मंदसौर के समीप हवाई पट्टी के फलस्वरूप 132 के. व्ही. डीसीडीएस जावरा-मंदसौर लाईन के लोकेशन क्रमांक 158 से 166 तक संशोधन/विस्थापन कार्य, लम्बाई-2×3.30 कि. मी. अनुमानित लागत-356.46 लाख रु.

**कुल अनुमानित लागत :** उपरोक्त कार्यों की कुल अनुमानित लागत लगभग रु. 1212.88 करोड़ है.

**(3) टावर, खम्भे, तार आदि लगाने का अधिकार :**

उपरोक्त स्वीकृत परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए मध्यप्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, विद्युत अधिनियम, 2003 के अन्तर्गत प्रदत्त सभी अधिकारों एवं उक्त अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गये अनुज्ञप्तिधारियों का संकर्म नियम, 2006 के अधिकारों का भी प्रयोग करेगी. विद्युत के पारेषण एवं वितरण के लिए अथवा टेलीफोनिक या टेलीग्राफिक सिग्नलों के पारेषण हेतु टावर, खम्भे, तार दीवार ब्रेकेट, स्टे यंत्रों और उपकरणों को लगाने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 (संशोधनों, नियमों एवं उप-नियमों सहित) एवं उपरोक्त वर्णित नियम, 2006 के प्रावधानों के अनुसार मध्यप्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को वे सभी अधिकार हैं एवं उनका वह उपयोग करेगी जो भारतीय तार यंत्र अधिनियम, 1885 (1885 का 13) के तहत् भारतीय तार यंत्र प्राधिकरण को रख-रखाव अथवा स्थापित या भविष्य में स्थापित किये जाने वाले तार यंत्र के सम्बन्ध में प्राप्त हैं.

(4) एतद्द्वारा मध्यप्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड द्वारा स्वीकृत उपरोक्त पारेषण परियोजनायें राजपत्र एवं समाचारपत्रों में प्रकाशन द्वारा जनता को अधिसूचित की जाती हैं.

**एस. एन. गोयल,**
मुख्य अभियंता (कारपोरेट अफेयर्स).

(526-बी.)

---

**CHANGE OF NAME**

After my marriage my name was changed from Satwant Kaur to Satwant Sangha (wife of Lt. Col. Gurdarshan Singh) It should be known and recorded accordingly.

Old Name :
**( SATWANT KAUR)**

New Name :
**( SATWANT SANGHA )**
19, Signal Vihar, Mhow-453441 (M.P.).

(527-बी.)

---

**नाम परिवर्तन**

मेरी पुत्री कॉर्मल कॉन्वेन्ट स्कूल की कक्षा 2 सेक्शन डी की छात्रा है. जिसका नाम स्कूल में आशी भारद्वाज नागवंशी लिखा हुआ है. जबकि उसका नाम आशी नागवंशी है. अत: उसके नाम से भारद्वाज हटाकर आशी नागवंशी किया जावे. भविष्य में मेरी पुत्री आशी नागवंशी के नाम से ही जानी पहचानी जाएगी.

पिता-**बालकृष्ण नागवंशी,**
पता—शिन्दे की छावनी,
भारत टॉकीज रोड, ग्वालियर.

(528-बी.)

---

**नाम परिवर्तन**

मैं, कैलाश धर्मानी पुत्र श्री अर्जुनदास धर्मानी, निवासी-एल. आई. जी-54, ए सेक्टर सोनागिरी, पिपलानी, रायसेन रोड भोपाल, पिन-462021 पहले मेरा नाम कैलाश धर्मानी था. अब मेरा नाम परिवर्तित होकर प्रयाग धर्मानी हो गया है (एफिडेविट दिनांक 04-11-2015). अत: भविष्य में मुझे समस्त अभिलेखों, विलेखों तथा लेखों में समस्त कार्यवाहियों, व्यवहारों तथा संव्यवहारों (शासकीय/अशासकीय/अन्य) में प्रयाग धर्मानी नाम से ही जाना व पहचाना जाये.

पुराना नाम :
**( कैलाश धर्मानी )**

नया नाम :
**( प्रयाग धर्मानी )**

(529-बी.)

---

**नाम परिवर्तन**

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती अल्पना चौहान पत्नी श्री अभिजीत, उम्र-35 वर्ष, निवासी-135, विनय नगर सेक्टर-2, कथन करती हूँ कि मेरी पुत्री कक्षा-7 में अध्ययनरत है, पुत्री का विद्यालय में नाम अंजली मस्तागर दर्ज है जो गलत है, मेरी पुत्री का वास्तविक नाम अंजली चौहान है, विद्यालय के रिकार्ड में नाम सही करते हुये अंजली मस्तागर के स्थान पर अंजली चौहान दर्ज किया जावे, भविष्य में पुत्री को इसी नाम से जाना जाए.

सूचनाकर्ता—
**अल्पना चौहान,**
पत्नी-श्री अभिजीत
निवासी-135, विनय नगर, सेक्टर-2,
ग्वालियर (म.प्र.).

(530-बी.)

## नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का नाम मनु है. जिसका नाम परिवर्तित कर यशवीर सिंह हो गया है. अतः अब भविष्य में मेरे पुत्र को यशवीर सिंह के नाम से जाना व पहचाना जाये.

**बृजमोहन कैन,**
बी-1, विवेक नगर, ठाठीपुर,
ग्वालियर (म.प्र.).

(531-बी.)

## नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, शैलेन्द्र सोनी पुत्र विजय सिंह सोनी, उम्र 29 वर्ष, निवासी-ए-201, सागर एवेन्यू, मुरार, ग्वालियर अपना नाम शैलेन्द्र सोनी से परिवर्तित कर शिवांश सिंह कर रहा हूँ. अतः भविष्य में मुझे शिवांश सिंह के नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम : **( शैलेन्द्र सोनी )**

नया नाम : **( शिवांश सिंह )**

(532-बी.)

## नाम परिवर्तन

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि डॉ. श्रीमती भारती सुराना पति श्री डॉ. अशोक सुराना वर्तमान, निवासी वार्ड नं. 10, वारासिवनी, जिला बालाघाट (म.प्र.) यह कि मेरा विवाह 26 जून, 1977 को हुआ है. विवाह के पूर्व मेरा नाम भाग्यलक्ष्मी शाह D/o श्री जगजीवन शाह था और यही नाम मेरे तमाम शैक्षणिक एवं अन्य दस्तावेजों में उल्लेखित था लेकिन विवाह के उपरांत मेरा नाम परिवर्तित होकर डॉ. श्रीमती भारती सुराना पति डॉ. अशोक सुराना हो गया है. अब मेरे इसी परिवर्तित नाम से मुझे जाना-पहचाना जाए और यही नाम मेरा तमाम अभिलेखों में उल्लेखित किया जाए.

वास्ते सूचनार्थ.

पुराना नाम : **( भाग्यलक्ष्मी शाह )**
पिता-श्री जगजीवन शाह.

नया नाम : **( भारती सुराना )**
पति-डॉ. अशोक सुराना.

(533-बी.)

# विविध

## न्यायालयों की सूचनाएं

### न्यायालय पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी, अनुभाग-कोतवाली, जबलपुर

जारी, दिनांक 18 दिसम्बर, 2015

प्रकरण क्र. 9/बी-113(4)/2014-15.

**प्रारूप-4**

[नियम 5 (1) देखिये]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-5 (2) एवं मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1962 के नियम 5 (1) के अंतर्गत]

आवेदक सुदर्शन स्मृति सेवा न्यास केशवकुटि, 1321, सुभद्रा नगर, गोलबाजार, राइट टाउन, जबलपुर की ओर से न्यासी/सचिव श्री अखिलेश जैन पिता स्व. निर्मल जैन, निवासी-उखरी रोड, बलदेवबाग, जबलपुर के द्वारा न्यास के पंजीयन हेतु मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1962 के नियम-4 के अधीन नीचे अनुसूची में दर्शाई गई संपत्ति लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट कर पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है.

अतः एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन पर संधारित प्रकरण मेरे न्यायालय में दिनांक 08 जनवरी, 2016 को विचार के लिए नियत है. कोई भी व्यक्ति/संस्था उक्त न्यास या संपत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में कोई आपत्ति प्रस्तुत करने या सुझाव देने का विचार रखता हो उसे इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन/दावा/आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है, अथवा उक्त नियत दिनांक को न्यायालय में मेरे समक्ष स्वयं या अपने अभिभाषक या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होकर प्रस्तुत करें. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों/दावों/सुझावों पर कोई विचार के लिये ग्राह्य नहीं किया जावेगा.

**अनुसूची**

(लोक न्यास का नाम और पता एवं संपत्ति का विवरण)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | लोक न्यास का नाम एवं पता | : | सुदर्शन स्मृति सेवा न्यास केशवकुटि, 1321, सुभद्रा नगर, गोलबाजार, राइट टाउन, जबलपुर (म.प्र.). |
| 2. | चल सम्पत्ति | : | रु. 11,000/- मात्र. |
| 3. | अचल सम्पत्ति | : | निरंक. |
| 4. | न्यास की आय का साधन | : | दान द्वारा. |

**अंकुर मेश्राम,**
पंजीयक एवं अनुविभागीय अधिकारी.

(02)

---

## न्यायालय पंजीयक, सार्वजनिक लोक न्यास, बुरहानपुर

प्र. क्र. बी/113/2014-15.

**प्रारूप-तृतीय**

(नियम पाँच 1 देखिये)

(मध्यप्रदेश सार्वजनिक लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अन्तर्गत)

एतद्द्वारा सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि लोक न्यासों के पंजीयक, बुरहानपुर, जिला बुरहानपुर के समक्ष यह कि अध्यक्ष, डॉ. अभिमन्यु महाजन ने "श्री सकलपंच काछी माली कुशवाह समाज ट्रस्ट, बहादरपुर, जिला बुरहानपुर (म.प्र.)" का लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अन्तर्गत अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति के लिये "लोक न्यास" के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिये आवेदन किया है. एतद्द्वारा सूचना-पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन दिनांक 20 नवम्बर, 2015 को मेरे न्यायालय में विचार में लिया जावेगा.

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या सम्पत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिये और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिये. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जावेगा.

**अनुसूची**

(लोक न्यास का नाम और पता, सम्पत्ति का विवरण)

| | | |
|---|---|---|
| 1. लोक न्यास का नाम | .. | "श्री सकलपंच काछी माली कुशवाह समाज ट्रस्ट, बहादरपुर, जिला बुरहानपुर (म.प्र.)" |
| 2. चल सम्पत्ति | .. | निरंक. |
| 3. अचल सम्पत्ति | .. | निरंक. |

जारी, दिनांक 6 अक्टूबर, 2015

**के. आर. बड़ोले,**
पंजीयक.

(03)

---

## न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, लोक न्यास चंदेरी, जिला अशोकनगर

चंदेरी, दिनांक 04 दिसम्बर, 2015

प्रकरण क्र. 1/बी-113/2014-15.

इस न्यायालय में मंदिर श्री श्री 1008 पंचमुखी गणेश जी मंदिर कुरवासा भूमि सर्वे नंबर 337/1/1 का रकबा 130.555 जंगलात में से कालम नम्बर 12 मंदिर श्री 1008 पंचमुखी श्री गणेश जी महाराज एवं फलोउद्यान रकबा 1.000 हेक्टर का प्रकरण मध्यप्रदेश लोक न्यास एक्ट की धारा-4 के अंतर्गत मंदिर श्री श्री 1008 पंचमुखी गणेश जी मंदिर कुरवासा, तहसील चंदेरी न्यास/सम्पत्ति को सार्वजनिक न्यास के रूप में पंजीयन कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया. उक्त आवेदन-पत्र पर मेरे द्वारा दिनांक 07 जनवरी, 2016 को विचार किया जावेगा.

इस धार्मिक स्थल की चल व अचल सम्पत्ती के पंजीयन किये जाने के सम्बन्ध में कोई अन्य व्यक्ति उपरोक्त ट्रस्ट की सम्पत्ति के बावत् किसी भी प्रकार का सम्बन्ध रखता है तो वह कोई भी आपत्ति या सुझाव दो प्रतियों लिखित रूप से इस विज्ञप्ति के प्रकाशन होने के 15 दिवस के अंदर मेरे समक्ष स्वयं/अभिभाषक के माध्यम से प्रस्तुत कर सकता है. तिथि निकल जाने के पश्चात् की गई किसी भी प्रकार की आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

## अनुसूची क्रमांक-1

मंदिर के प्रबंधन कार्यकारणी (न्यासीगण) के सदस्यों, प्रबंधक, न्यासी व पदाधिकारियों की पते सहित सूची—

| | | |
|---|---|---|
| 1. | संत श्री सीतारामशरण मौनी बाबा जी | संस्थापक |
| 2. | श्री विवेक कासंट पुत्र श्री राजेन्द्र प्रकाश कांसट, भोपाल | अध्यक्ष |
| 3. | श्री ज्योति प्रकाश सिहारे पुत्र श्री ग्या प्रसाद सिहारे, चंदेरी | सचिव |
| 4. | श्री जितेन्द्र सिंह संधू पुत्र श्री रघुवीर सिंह संधू, निवासी महोली | उपाध्यक्ष |
| 5. | श्री राघवेन्द्र शर्मा पुत्र श्री भैयालाल शर्मा, चंदेरी | कोषाध्यक्ष |
| 6. | श्री कृपाल सिंह पुत्र श्री बीरसिंह परमार, निवासी ग्राम नावनी | सह-सचिव |
| 7. | श्री अमित कांकर पुत्र श्री पुरूरोषत्तम नारायण कांकर, निवासी विदिशा | सदस्य |
| 8. | श्री संजय मुदगल (एडव्होकेट) पुत्र श्री हरीशंकर मुदगल, निवासी चंदेरी | सदस्य |
| 9. | श्री सुधीर उपाध्याय जी, निवासी बजीराबाद रोशन, पिपरिया | सदस्य |
| 10. | श्री राजीब चौबे पुत्र री प्रकाश नारायण चौबे, निवासी चंदेरी | सदस्य |
| 11. | श्री बल्देव सिंह जी सरदार, निवासी नावनी | सदस्य |
| 12. | श्री गोपाल सुमन, निवासी कुरवांसा | सदस्य |
| 13. | तहसीलदार (पदेन) शासकीय प्रतिनिधि | |

लोक न्यास की चल सम्पत्ति का विवरण—

| सम्पत्ति का नाम तथा विवरण | संख्या | अनुमानित मूल्य | अन्य विवरण |
|---|---|---|---|
| 1. मूर्ति | 3 | 51,000.00 | |
| 2. कलश | 2 | 2200.00 | |
| 3. शंख झालर | 2 | 2200.00 | |
| 4. शंख | 1 | 500.00 | |
| 5. बड़े भगोने | 5 | 5000.00 | |
| 6. कढ़ाई बड़ी | 2 | 2000.00 | |
| 7. तखत (लकड़ी) | 5 | 10,000.00 | |
| 8. ट्यूबवेल | 1 | 10,000.00 | |
| 9. हैण्डपम्प | 1 | 75,000.00 | |

अचल सम्पत्ति—

1. मंदिर 01
2. चबूतरा 02
3. धर्मशाला 01
4. मंदिर की जमीन (उपजाऊ जमीन) सर्वे नम्बर 337/1/क में से रकवा 1.000 हेक्टर.

**इच्छित गढ़पाले,**
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

(04)

# अन्य सूचनाएं

## कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मुरैना

### कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक/प्रभारी अधिकारी,

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सिकरोदा,

तहसील जौरा, जिला मुरैना.

यह कि दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सिकरोदा जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./एम.एन.ए./487, दिनांक 15 जुलाई, 1981 जिसे आगे संस्था कहा गया है के सम्बन्ध में निम्नानुसार आरोप हैं:-

1. संस्था द्वारा पंजीकरण आदेश में दर्शित समयावधि में अपना कार्य करना प्रारम्भ नहीं किया है.
2. संस्था ने कार्य करना बंद कर दिया है.
3. संस्था केवल व्यक्ति विशेष या समूह शेष के हित सम्बन्धों के लिये कार्य करती है तथा साधारण समस्त सदस्यों के हित सम्बर्धन के लिये कार्य नहीं करती है.
4. संस्था के अधिनियम, नियम तथा संस्था की उपविधि का पालन करना बंद कर दिया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-उवी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मैं, आर. के. बाजपेयी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मुरैना यह कारण बताओ सूचना-पत्र के जरिये सूचित करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जावे.

इस बावत् में दिनांक 05 जनवरी, 2016 तक लिखित में ठोस साक्ष्य सहित इस कार्यालय में उत्तर प्रस्तुत करें निर्धारित अवधि में उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो यह मानकर कि इस सम्बन्ध में आपको कुछ नहीं कहना है तथा उक्त आरोप स्वीकार हैं प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 09 दिसम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(05)

---

### कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक/प्रभारी अधिकारी,

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., खेरिया जोरा,

जिला मुरैना.

यह कि दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., खेरिया जोरा जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./एम.एन.ए./920, दिनांक 16 जनवरी, 1990 जिसे आगे संस्था कहा गया है के सम्बन्ध में निम्नानुसार आरोप हैं:-

1. संस्था द्वारा पंजीकरण आदेश में दर्शित समयावधि में अपना कार्य करना प्रारम्भ नहीं किया है.
2. संस्था ने कार्य करना बंद कर दिया है.
3. संस्था केवल व्यक्ति विशेष या समूह शेष के हित सम्बन्धों के लिये कार्य करती है तथा साधारण समस्त सदस्यों के हित सम्बर्धन के लिये कार्य नहीं करती है.
4. संस्था के अधिनियम, नियम तथा संस्था की उपविधि का पालन करना बंद कर दिया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना

क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-उवी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मैं, आर. के. बाजपेयी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मुरैना यह कारण बताओ सूचना-पत्र के जरिये सूचित करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जावे.

इस बावत् में दिनांक 05 जनवरी, 2016 तक लिखित में ठोस साक्ष्य सहित इस कार्यालय में उत्तर प्रस्तुत करें निर्धारित अवधि में उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो यह मानकर कि इस सम्बन्ध में आपको कुछ नहीं कहना है तथा उक्त आरोप स्वीकार हैं प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 09 दिसम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(05-A)

---

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक/प्रभारी अधिकारी,

आदर्श बुनकर सहकारी संस्था मर्या., अम्बाह,

तहसील अम्बाह, जिला मुरैना.

यह कि आदर्श बुनकर सहकारी संस्था मर्या., अम्बाह जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./एम.एन.ए./423, दिनांक 29 सितम्बर, 1976 जिसे आगे संस्था कहा गया है के सम्बन्ध में निम्नानुसार आरोप हैं:-

1. संस्था द्वारा पंजीकरण आदेश में दर्शित समयावधि में अपना कार्य करना प्रारम्भ नहीं किया है.
2. संस्था ने कार्य करना बंद कर दिया है.
3. संस्था केवल व्यक्ति विशेष या समूह शेष के हित सम्बन्धों के लिये कार्य करती है तथा साधारण समस्त सदस्यों के हित सम्बर्धन के लिये कार्य नहीं करती है.
4. संस्था के अधिनियम, नियम तथा संस्था की उपविधि का पालन करना बंद कर दिया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-उवी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मैं, आर. के. बाजपेयी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मुरैना यह कारण बताओ सूचना-पत्र के जरिये सूचित करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जावे.

इस बावत् में दिनांक 05 जनवरी, 2016 तक लिखित में ठोस साक्ष्य सहित इस कार्यालय में उत्तर प्रस्तुत करें निर्धारित अवधि में उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो यह मानकर कि इस सम्बन्ध में आपको कुछ नहीं कहना है तथा उक्त आरोप स्वीकार हैं प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 09 दिसम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(05-B)

---

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक/प्रभारी अधिकारी,

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रामसिंहकापुरा,

तहसील जौरा, जिला मुरैना.

यह कि दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रामसिंहकापुरा जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./एम.एन.ए./1329, दिनांक 10 जुलाई, 2006 जिसे आगे संस्था कहा गया है के सम्बन्ध में निम्नानुसार आरोप हैं:-

1. संस्था द्वारा पंजीकरण आदेश में दर्शित समयावधि में अपना कार्य करना प्रारम्भ नहीं किया है.
2. संस्था ने कार्य करना बंद कर दिया है.

3. संस्था केवल व्यक्ति विशेष या समूह शेष के हित सम्बन्धों के लिये कार्य करती है तथा साधारण समस्त सदस्यों के हित सम्बर्धन के लिये कार्य नहीं करती है.
4. संस्था के अधिनियम, नियम तथा संस्था की उपविधि का पालन करना बंद कर दिया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-उवी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मैं, आर. के. बाजपेयी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मुरैना यह कारण बताओ सूचना-पत्र के जरिये सूचित करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जावे.

इस बावत् में दिनांक 05 जनवरी, 2016 तक लिखित में ठोस साक्ष्य सहित इस कार्यालय में उत्तर प्रस्तुत करें निर्धारित अवधि में उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो यह मानकर कि इस सम्बन्ध में आपको कुछ नहीं कहना है तथा उक्त आरोप स्वीकार हैं प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 09 दिसम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(05-C)

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक/प्रभारी अधिकारी,
दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., निमास,
तहसील जौरा, जिला मुरैना.

यह कि दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., निमास जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./एम.एन.ए./1315, दिनांक 31 दिसम्बर, 2005 जिसे आगे संस्था कहा गया है के सम्बन्ध में निम्नानुसार आरोप हैं:-

1. संस्था द्वारा पंजीकरण आदेश में दर्शित समयावधि में अपना कार्य करना प्रारम्भ नहीं किया है.
2. संस्था ने कार्य करना बंद कर दिया है.
3. संस्था केवल व्यक्ति विशेष या समूह शेष के हित सम्बन्धों के लिये कार्य करती है तथा साधारण समस्त सदस्यों के हित सम्बर्धन के लिये कार्य नहीं करती है.
4. संस्था के अधिनियम, नियम तथा संस्था की उपविधि का पालन करना बंद कर दिया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-उवी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मैं, आर. के. बाजपेयी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मुरैना यह कारण बताओ सूचना-पत्र के जरिये सूचित करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जावे.

इस बावत् में दिनांक 05 जनवरी, 2016 तक लिखित में ठोस साक्ष्य सहित इस कार्यालय में उत्तर प्रस्तुत करें निर्धारित अवधि में उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो यह मानकर कि इस सम्बन्ध में आपको कुछ नहीं कहना है तथा उक्त आरोप स्वीकार हैं प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 09 दिसम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(05-D)

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक/प्रभारी अधिकारी,
दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मद्दीपुरा,
तहसील कैलारस, जिला मुरैना.

यह कि दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मद्दीपुरा जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./एम.एन.ए./.............., दिनांक ............. जिसे आगे संस्था कहा गया है के सम्बन्ध में निम्नानुसार आरोप हैं:-

1. संस्था द्वारा पंजीकरण आदेश में दर्शित समयावधि में अपना कार्य करना प्रारम्भ नहीं किया है.

2. संस्था ने कार्य करना बंद कर दिया है.

3. संस्था केवल व्यक्ति विशेष या समूह शेष के हित सम्बन्धों के लिये कार्य करती है तथा साधारण समस्त सदस्यों के हित सम्बर्धन के लिये कार्य नहीं करती है.

4. संस्था के अधिनियम, नियम तथा संस्था की उपविधि का पालन करना बंद कर दिया है.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-उवी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मैं, आर. के. बाजपेयी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मुरैना यह कारण बताओ सूचना-पत्र के जरिये सूचित करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जावे.

इस बावत् में दिनांक 05 जनवरी, 2016 तक लिखित में ठोस साक्ष्य सहित इस कार्यालय में उत्तर प्रस्तुत करें निर्धारित अवधि में उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो यह मानकर कि इस सम्बन्ध में आपको कुछ नहीं कहना है तथा उक्त आरोप स्वीकार हैं प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 09 दिसम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(05-E)

---

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक/प्रभारी अधिकारी,
तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सिंहोनियां,
तहसील मुरैना.

यह कि तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सिंहोनियां जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./एम.एन.ए./594, दिनांक 31 मार्च, 1984 जिसे आगे संस्था कहा गया है के सम्बन्ध में निम्नानुसार आरोप हैं:-

1. संस्था द्वारा पंजीकरण आदेश में दर्शित समयावधि में अपना कार्य करना प्रारम्भ नहीं किया है.

2. संस्था ने कार्य करना बंद कर दिया है.

3. संस्था केवल व्यक्ति विशेष या समूह शेष के हित सम्बन्धों के लिये कार्य करती है तथा साधारण समस्त सदस्यों के हित सम्बर्धन के लिये कार्य नहीं करती है.

4. संस्था के अधिनियम, नियम तथा संस्था की उपविधि का पालन करना बंद कर दिया है.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-उवी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मैं, आर. के. बाजपेयी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मुरैना यह कारण बताओ सूचना-पत्र के जरिये सूचित करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जावे.

इस बावत् में दिनांक 05 जनवरी, 2016 तक लिखित में ठोस साक्ष्य सहित इस कार्यालय में उत्तर प्रस्तुत करें निर्धारित अवधि में उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो यह मानकर कि इस सम्बन्ध में आपको कुछ नहीं कहना है तथा उक्त आरोप स्वीकार हैं प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 09 दिसम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(05-F)

---

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक/प्रभारी अधिकारी,
तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बड़फरा,
तहसील अम्बाह, जिला मुरैना.

यह कि तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बड़फरा जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./एम.एन.ए./875, दिनांक 01 अप्रैल, 1989 जिसे

आगे संस्था कहा गया है के सम्बन्ध में निम्नानुसार आरोप हैं:-

1. संस्था द्वारा पंजीकरण आदेश में दर्शित समयावधि में अपना कार्य करना प्रारम्भ नहीं किया है.
2. संस्था ने कार्य करना बंद कर दिया है.
3. संस्था केवल व्यक्ति विशेष या समूह शेष के हित सम्बन्धों के लिये कार्य करती है तथा साधारण समस्त सदस्यों के हित सम्बर्धन के लिये कार्य नहीं करती है.
4. संस्था के अधिनियम, नियम तथा संस्था की उपविधि का पालन करना बंद कर दिया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-उवी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मैं, आर. के. बाजपेयी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मुरैना यह कारण बताओ सूचना-पत्र के जरिये सूचित करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जावे.

इस बावत् में दिनांक 05 जनवरी, 2016 तक लिखित में ठोस साक्ष्य सहित इस कार्यालय में उत्तर प्रस्तुत करें निर्धारित अवधि में उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो यह मानकर कि इस सम्बन्ध में आपको कुछ नहीं कहना है तथा उक्त आरोप स्वीकार हैं प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 09 दिसम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(05-G)

---

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक/प्रभारी अधिकारी,

टेक्सटाइल्स प्रोसेसिंग सहकारी संस्था मर्या., अम्बाह,

तहसील अम्बाह, जिला मुरैना.

यह कि टेक्सटाइल्स प्रोसेसिंग सहकारी संस्था मर्या., अम्बाह जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./एम.एन.ए./281, दिनांक 27 जनवरी, 1987 जिसे आगे संस्था कहा गया है के सम्बन्ध में निम्नानुसार आरोप हैं:-

1. संस्था द्वारा पंजीकरण आदेश में दर्शित समयावधि में अपना कार्य करना प्रारम्भ नहीं किया है.
2. संस्था ने कार्य करना बंद कर दिया है.
3. संस्था केवल व्यक्ति विशेष या समूह शेष के हित सम्बन्धों के लिये कार्य करती है तथा साधारण समस्त सदस्यों के हित सम्बर्धन के लिये कार्य नहीं करती है.
4. संस्था के अधिनियम, नियम तथा संस्था की उपविधि का पालन करना बंद कर दिया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-उवी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मैं, आर. के. बाजपेयी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मुरैना यह कारण बताओ सूचना-पत्र के जरिये सूचित करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जावे.

इस बावत् में दिनांक 05 जनवरी, 2016 तक लिखित में ठोस साक्ष्य सहित इस कार्यालय में उत्तर प्रस्तुत करें निर्धारित अवधि में उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो यह मानकर कि इस सम्बन्ध में आपको कुछ नहीं कहना है तथा उक्त आरोप स्वीकार हैं प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 09 दिसम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

**आर. के. बाजपेयी,**
उप-पंजीयक.

(05-H)

---

## कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खण्डवा

खण्डवा, दिनांक 08 दिसम्बर, 2015

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत्]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/निर्वा./2015/448, खण्डवा, दिनांक 29 मई, 2015 के द्वारा संत सिंगाजी मत्स्य सहकारी संस्था मर्या., भैसावा,

पंजी. क्रमांक 2071, दिनांक 29 अक्टूबर, 2007 के संचालक मण्डल के स्थान पर अधिनियम की धारा-49 (7-क) (ख) के अंतर्गत श्री एच. सी. महाजन, सहकारी निरीक्षक, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला खण्डवा को प्रशासक नियुक्त किया गया है. प्रशासक के द्वारा निम्न कारणों से समिति को परिसमापन में लाये जाने हेतु प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है.—

1. संस्था पंजीयन दिनांक से ही अकार्यशील है.
2. संस्था के कार्य के प्रति सदस्यों द्वारा रुची नहीं ली जा रही है.
3. संस्था द्वारा निर्वाचन नहीं कराया जा रहा है.
4. संस्था उद्देश्यों की प्राप्ति में असफल रही है.

उक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, मदन गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खण्डवा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत् प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किए गए हैं, का प्रयोग करते हुए संत सिंगाजी मत्स्य सहकारी संस्था मर्या., भैसावा, पंजीयन क्रमांक 2071, दिनांक 29 अक्टूबर, 2007 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उक्त वर्णित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के प्रशासक/संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से 30 दिवस के अंदर आप उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषयवस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(06)

खण्डवा, दिनांक 08 दिसम्बर, 2015

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत्]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/निर्वा./2015/413, खण्डवा, दिनांक 29 मई, 2015 के द्वारा लक्ष्मी महिला प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., खण्डवा, पंजी. क्रमांक 1669, दिनांक 04 जुलाई, 1998 के संचालक मण्डल के स्थान पर अधिनियम की धारा-49 (7-क) (ख) के अंतर्गत श्रीमती भगवती मोरे, सहकारी निरीक्षक, सहायक आयुक्त, सहकारिता, जिला खण्डवा को प्रशासक नियुक्त किया गया है. प्रशासक के द्वारा निम्न कारणों से समिति को परिसमापन में लाये जाने हेतु प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है.—

1. संस्था पंजीयन दिनांक से ही अकार्यशील है.
2. संस्था के कार्य के प्रति सदस्यों द्वारा रुची नहीं ली जा रही है.
3. संस्था द्वारा निर्वाचन नहीं कराया जा रहा है.
4. संस्था उद्देश्यों की प्राप्ति में असफल रही है.

उक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, मदन गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खण्डवा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत् प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किए गए हैं, का प्रयोग करते हुए लक्ष्मी महिला प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., खण्डवा, पंजी. क्रमांक 1669, दिनांक 04 जुलाई, 1998 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उक्त वर्णित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के प्रशासक/संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से 30 दिवस के अंदर आप उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न

होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषयवस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(06-A)

---

खण्डवा, दिनांक 08 दिसम्बर, 2015

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत्]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/निर्वा./2015/816, खण्डवा, दिनांक.................. के द्वारा सरल जीवन साख सहकारी संस्था मर्या., खण्डवा, पंजी. क्रमांक 2313, दिनांक 07 फरवरी, 2015 के संचालक मण्डल के स्थान पर अधिनियम की धारा-53 (1)(ख) के अंतर्गत श्री गोपाल ताम्रकार, वरि. सहकारी निरीक्षक, सहायक आयुक्त, सहकारिता, जिला खण्डवा को प्रशासक नियुक्त किया गया है. प्रशासक के द्वारा निम्न कारणों से समिति को परिसमापन में लाये जाने हेतु प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है.—

1. संस्था पंजीयन दिनांक से ही अकार्यशील है.
2. संस्था के कार्य के प्रति सदस्यों द्वारा रुची नहीं ली जा रही है.
3. संस्था द्वारा निर्वाचन नहीं कराया जा रहा है.
4. संस्था उद्देश्यों की प्राप्ति में असफल रही है.

उक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, मदन गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खण्डवा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत् प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किए गए हैं, का प्रयोग करते हुए सरल जीवन साख सहकारी संस्था मर्या., खण्डवा, पंजी. क्रमांक 2313, दिनांक 07 फरवरी, 2015 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उक्त वर्णित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के प्रशासक/संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से 30 दिवस के अंदर आप उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषयवस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(06-B)

---

खण्डवा, दिनांक 08 दिसम्बर, 2015

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत्]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/निर्वा./2015/418, खण्डवा, दिनांक 29 मई, 2015 के द्वारा शिवशक्ति साख सहकारी संस्था मर्या., खण्डवा, पंजी. क्रमांक 1843, दिनांक 07 फरवरी, 2002 के संचालक मण्डल के स्थान पर अधिनियम की धारा-59 (7-क)(ख) के अंतर्गत श्री उस्मान खान, वरि. सहकारी निरीक्षक, सहायक आयुक्त, सहकारिता, जिला खण्डवा को प्रशासक नियुक्त किया गया है. प्रशासक के द्वारा निम्न कारणों से समिति को परिसमापन में लाये जाने हेतु प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है.—

1. संस्था पंजीयन दिनांक से ही अकार्यशील है.
2. संस्था के कार्य के प्रति सदस्यों द्वारा रुची नहीं ली जा रही है.
3. संस्था द्वारा निर्वाचन नहीं कराया जा रहा है.
4. संस्था उद्देश्यों की प्राप्ति में असफल रही है.

उक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, मदन गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खण्डवा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत् प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किए गए हैं, का प्रयोग करते हुए शिवशक्ति साख सहकारी संस्था मर्या., खण्डवा, पंजी. क्रमांक 1843, दिनांक 07 फरवरी, 2002 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उक्त वर्णित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के प्रशासक/संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से 30 दिवस के अंदर आप उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषयवस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(06-C)

---

खण्डवा, दिनांक 08 दिसम्बर, 2015

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत्]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/निर्वा./2015/618, खण्डवा, दिनांक 29 जून, 2015 के द्वारा सरदार किसान गृहउद्योग सहकारी संस्था मर्या., भोजाखेडी, पंजी. क्रमांक 2239, दिनांक 13 सितम्बर, 2013 के संचालक मण्डल के स्थान पर अधिनियम की धारा-53 (1)(ख) के अंतर्गत श्री रमेशलाल मंगवानी, सहकारी निरीक्षक, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला खण्डवा को प्रशासक नियुक्त किया गया है. प्रशासक के द्वारा निम्न कारणों से समिति को परिसमापन में लाये जाने हेतु प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है.—

1. संस्था पंजीयन दिनांक से ही अकार्यशील है.
2. संस्था के कार्य के प्रति सदस्यों द्वारा रुची नहीं ली जा रही है.
3. संस्था द्वारा निर्वाचन नहीं कराया जा रहा है.
4. संस्था उद्देश्यों की प्राप्ति में असफल रही है.

उक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, मदन गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खण्डवा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत् प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किए गए हैं, का प्रयोग करते हुए सरदार किसान गृहउद्योग सहकारी संस्था मर्या., भोजाखेडी, पंजी. क्रमांक 2239, दिनांक 13 सितम्बर, 2013 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उक्त वर्णित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के प्रशासक/संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से 30 दिवस के अंदर आप उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषयवस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(06-D)

---

खण्डवा, दिनांक 08 दिसम्बर, 2015

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत्]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/निर्वा./2015/776, खण्डवा, दिनांक 07 अगस्त, 2015 के द्वारा सेंट्रल इंडिया क्रेडिट को-आपरेटिव सोसायटी मर्या., खण्डवा,

पंजी. क्रमांक 2294, दिनांक 07 फरवरी, 2015 के संचालक मण्डल के स्थान पर अधिनियम की धारा-53 (1)(ख) के अंतर्गत श्री उस्मान खान, वरि. सहकारी निरीक्षक, सहायक आयुक्त, सहकारिता, जिला खण्डवा को प्रशासक नियुक्त किया गया है. प्रशासक के द्वारा निम्न कारणों से समिति को परिसमापन में लाये जाने हेतु प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है.—

1. संस्था पंजीयन दिनांक से ही अकार्यशील है.
2. संस्था के कार्य के प्रति सदस्यों द्वारा रुची नहीं ली जा रही है.
3. संस्था द्वारा निर्वाचन नहीं कराया जा रहा है.
4. संस्था उद्देश्यों की प्राप्ति में असफल रही है.

उक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, मदन गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खण्डवा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत् प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किए गए हैं, का प्रयोग करते हुए सेंट्रल इंडिया क्रेडिट को-आपरेटिव सोसायटी मर्या., खण्डवा, पंजी. क्रमांक 2294, दिनांक 07 फरवरी, 2015 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उक्त वर्णित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के प्रशासक/संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से 30 दिवस के अंदर आप उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषयवस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(06-E)

---

खण्डवा, दिनांक 08 दिसम्बर, 2015

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत्]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/निर्वा./2015/792, खण्डवा, दिनांक 07 अगस्त, 2015 के द्वारा ब्रम्हा बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., धनगांव, पंजी. क्रमांक 2331, दिनांक 10 फरवरी, 2015 के संचालक मण्डल के स्थान पर अधिनियम की धारा-53 (1)(ख) के अंतर्गत श्री एस. एल. नागर, सहकारी निरीक्षक, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला खण्डवा को प्रशासक नियुक्त किया गया है. प्रशासक के द्वारा निम्न कारणों से समिति को परिसमापन में लाये जाने हेतु प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है.—

1. संस्था पंजीयन दिनांक से ही अकार्यशील है.
2. संस्था के कार्य के प्रति सदस्यों द्वारा रुची नहीं ली जा रही है.
3. संस्था द्वारा निर्वाचन नहीं कराया जा रहा है.
4. संस्था उद्देश्यों की प्राप्ति में असफल रही है.

उक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, मदन गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खण्डवा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत् प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किए गए हैं, का प्रयोग करते हुए ब्रम्हा बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., धनगांव, पंजी. क्रमांक 2331, दिनांक 10 फरवरी, 2015 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उक्त वर्णित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के प्रशासक/संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से 30 दिवस के अंदर आप उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त

न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषयवस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(06-F)

---

खण्डवा, दिनांक 08 दिसम्बर, 2015

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत्]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/निर्वा./2015/798, खण्डवा, दिनांक 07 अगस्त, 2015 के द्वारा श्री दादाजी मिल्क को-आपरेटिव सोसायटी लिमिटेड, खण्डवा, पंजी. क्रमांक 2319, दिनांक 10 दिसम्बर, 2015 के संचालक मण्डल के स्थान पर अधिनियम की धारा-53 (1)(ख) के अंतर्गत श्री एस. एल. नागर, सहकारी निरीक्षक, उप-आयुक्त सहकारिता, जिला खण्डवा को प्रशासक नियुक्त किया गया है. प्रशासक के द्वारा निम्न कारणों से समिति को परिसमापन में लाये जाने हेतु प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है.—

1. संस्था पंजीयन दिनांक से ही अकार्यशील है.
2. संस्था के कार्य के प्रति सदस्यों द्वारा रुची नहीं ली जा रही है.
3. संस्था द्वारा निर्वाचन नहीं कराया जा रहा है.
4. संस्था उद्देश्यों की प्राप्ति में असफल रही है.

उक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, मदन गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खण्डवा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत् प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किए गए हैं, का प्रयोग करते हुए श्री दादाजी मिल्क को-आपरेटिव सोसायटी लिमिटेड, खण्डवा, पंजी. क्रमांक 2319, दिनांक 10 दिसम्बर, 2015 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उक्त वर्णित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के प्रशासक/संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से 30 दिवस के अंदर आप उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषयवस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(06-G)

---

खण्डवा, दिनांक 08 दिसम्बर, 2015

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत्]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/निर्वा./2015/804, खण्डवा, दिनांक 07 अगस्त, 2015 के द्वारा माँ कालका कल्याणी आदर्श कामगार कारीगर सहकारी संस्था मर्या., खण्डवा, पंजी. क्रमांक 2330, दिनांक 10 फरवरी, 2015 के संचालक मण्डल के स्थान पर अधिनियम की धारा-53 (1)(ख) के अंतर्गत श्री आर. एस. जायसवाल, उप-अंकेक्षक, सहायक आयुक्त, सहकारिता, जिला खण्डवा को प्रशासक नियुक्त किया गया है. प्रशासक के द्वारा निम्न कारणों से समिति को परिसमापन में लाये जाने हेतु प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है.—

1. संस्था पंजीयन दिनांक से ही अकार्यशील है.
2. संस्था के कार्य के प्रति सदस्यों द्वारा रूची नहीं ली जा रही है.

3. संस्था द्वारा निर्वाचन नहीं कराया जा रहा है.

4. संस्था उद्देश्यों की प्राप्ति में असफल रही है.

उक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, मदन गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खण्डवा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत् प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किए गए हैं, का प्रयोग करते हुए माँ कालका कल्याणी आदर्श कामगार कारीगर सहकारी संस्था मर्या., खण्डवा, पंजी. क्रमांक 2330, दिनांक 10 फरवरी, 2015 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उक्त वर्णित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के प्रशासक/संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से 30 दिवस के अंदर आप उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषयवस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(06-H)

---

खण्डवा, दिनांक 08 दिसम्बर, 2015

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत्]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/निर्वा./2015/801, खण्डवा, दिनांक 07 अगस्त, 2015 के द्वारा आरती फर्नीचर एवं स्टेशनरी क्रय-विक्रय सहकारी संस्था मर्या., सैयदपुर, पंजी. क्रमांक 2327, दिनांक 10 फरवरी, 2015 के संचालक मण्डल के स्थान पर अधिनियम की धारा-53 (1)(ख) के अंतर्गत श्री आर. एस. जायसवाल, उप-अंकेक्षक, सहायक आयुक्त, सहकारिता, जिला खण्डवा को प्रशासक नियुक्त किया गया है. प्रशासक के द्वारा निम्न कारणों से समिति को परिसमापन में लाये जाने हेतु प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है.—

1. संस्था पंजीयन दिनांक से ही अकार्यशील है.

2. संस्था के कार्य के प्रति सदस्यों द्वारा रुची नहीं ली जा रही है.

3. संस्था द्वारा निर्वाचन नहीं कराया जा रहा है.

4. संस्था उद्देश्यों की प्राप्ति में असफल रही है.

उक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, मदन गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खण्डवा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत् प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किए गए हैं, का प्रयोग करते हुए आरती फर्नीचर एवं स्टेशनरी क्रय-विक्रय सहकारी संस्था मर्या., सैयदपुर, पंजी. क्रमांक 2327, दिनांक 10 फरवरी, 2015 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उक्त वर्णित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के प्रशासक/संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से 30 दिवस के अंदर आप उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषयवस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

**मदन गजभिये,**
उप-पंजीयक.

(06-I)

## कार्यालय उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटियां, जिला सागर

सागर, दिनांक 11 दिसम्बर, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

केण्टोमेण्ट, प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., सागर, विकासखण्ड सागर, जिला सागर (म.प्र.) जिसका पंजीयन क्रमांक 77, दिनांक 04 फरवरी, 1963 है कार्यालयीन आदेश क्रमांक/विधि/2861, दिनांक 12 सितम्बर, 2011 के द्वारा परिसमापन में लाया गया था. परिसमापक श्री एच. के. मिश्रा, सहकारी निरीक्षक/सहकारिता विस्तार अधिकारी सागर, जिला सागर द्वारा विधिवत् कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां सागर, (मध्यप्रदेश) मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केण्टोमेण्ट, प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., सागर, विकासखण्ड सागर, जिला सागर (म.प्र.) जिसका पंजीयन क्रमांक 77, दिनांक 04 फरवरी, 1963 है का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 11 दिसम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(07)

---

सागर, दिनांक 11 दिसम्बर, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

कृष्णगंज महिला सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., सागर, विकासखण्ड सागर, जिला सागर (म.प्र.) जिसका पंजीयन क्रमांक 562, दिनांक 14 फरवरी, 1994 है. कार्यालयीन आदेश क्रमांक/विधि/2856, दिनांक 12 सितम्बर, 2011 के द्वारा परिसमापन में लाया गया था. परिसमापक श्री एच. के. मिश्रा, सहकारी निरीक्षक/सहकारिता विस्तार अधिकारी सागर, जिला सागर द्वारा विधिवत् कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटियां सागर, (मध्यप्रदेश) मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कृष्णगंज महिला सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., सागर, विकासखण्ड सागर, जिला सागर (म.प्र.) जिसका पंजीयन क्रमांक 562, दिनांक 14 फरवरी, 1994 है का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 11 दिसम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(07-A)

---

सागर, दिनांक 11 दिसम्बर, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

मछुआ सहकारी समिति मर्या., तालग्वारी, विकासखण्ड सागर, जिला सागर (म.प्र.) जिसका पंजीयन क्रमांक 143, दिनांक 18 जून, 1964 है. कार्यालयीन आदेश क्रमांक/विधि/2877, दिनांक 12 सितम्बर, 2011 के द्वारा परिसमापन में लाया गया था. परिसमापक श्री एच. के. मिश्रा, सहकारी निरीक्षक/सहकारिता विस्तार अधिकारी सागर, जिला सागर द्वारा विधिवत् कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटियां सागर, (मध्यप्रदेश) मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त

शक्तियों का प्रयोग करते हुए मछुआ सहकारी समिति मर्या., तालग्वारी, विकासखण्ड सागर, जिला सागर (म.प्र.) जिसका पंजीयन क्रमांक 143, दिनांक 18 जून, 1964 है का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 11 दिसम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(07-B)

---

सागर, दिनांक 11 दिसम्बर, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

तिलहन उत्पादक सहकारी समिति मर्या., सिलोधा, विकासखण्ड खुरई, जिला सागर (म.प्र.) जिसका पंजीयन क्रमांक 509, दिनांक 05 अगस्त, 1991 है. कार्यालयीन आदेश क्रमांक/विधि/954, दिनांक 31 मार्च, 2005 के द्वारा परिसमापन में लाया गया था. परिसमापक श्री आर. के. राठौर, सहकारी निरीक्षक/सहकारिता विस्तार अधिकारी खुरई, जिला सागर द्वारा विधिवत् कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटियां सागर, (मध्यप्रदेश) मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तिलहन उत्पादक सहकारी समिति मर्या., सिलोधा, विकासखण्ड खुरई, जिला सागर (म.प्र.) जिसका पंजीयन क्रमांक 509, दिनांक 05 अगस्त, 1991 है का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 11 दिसम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(07-C)

---

सागर, दिनांक 11 दिसम्बर, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

महिला बहुउद्देश्यीय सहकारी समिति मर्या., लुहर्रा, विकासखण्ड खुरई, जिला सागर (म.प्र.) जिसका पंजीयन क्रमांक 1198, दिनांक 15 अप्रैल, 2005 है. कार्यालयीन आदेश क्रमांक/विधि/711, दिनांक 24 अप्रैल, 2013 के द्वारा परिसमापन में लाया गया था. परिसमापक श्री आर. के. राठौर, सहकारी निरीक्षक/सहकारिता विस्तार अधिकारी खुरई, जिला सागर द्वारा विधिवत् कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटियां सागर, (मध्यप्रदेश) मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महिला बहुउद्देश्यीय सहकारी समिति मर्या., लुहर्रा, विकासखण्ड खुरई, जिला सागर (म.प्र.) जिसका पंजीयन क्रमांक 1198, दिनांक 15 अप्रैल, 2005 है का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 11 दिसम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(07-D)

---

सागर, दिनांक 11 दिसम्बर, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

महिला बहुउद्देश्यीय सहकारी समिति मर्या., कनउ, विकासखण्ड खुरई, जिला सागर (म.प्र.) जिसका पंजीयन क्रमांक 1213, दिनांक 02 अगस्त, 2005 है.. कार्यालयीन आदेश क्रमांक/विधि/724, दिनांक 24 अप्रैल, 2013 के द्वारा परिसमापन में लाया गया था. परिसमापक श्री आर. के. राठौर, सहकारी निरीक्षक/सहकारिता विस्तार अधिकारी खुरई, जिला सागर द्वारा विधिवत् कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटियां सागर, (मध्यप्रदेश) मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महिला बहुउद्देश्यीय सहकारी समिति मर्या., कनउ, विकासखण्ड खुरई, जिला सागर (म.प्र.) जिसका पंजीयन क्रमांक 1213, दिनांक 02 अगस्त, 2005 है का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 11 दिसम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(07-E)

---

सागर, दिनांक 11 दिसम्बर, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

महिला बहुउद्देश्यीय सहकारी समिति मर्या., बाहरपुर, विकासखण्ड खुरई, जिला सागर (म.प्र.) जिसका पंजीयन क्रमांक 1212, दिनांक 02 अगस्त, 2005 है. कार्यालयीन आदेश क्रमांक/विधि/758, दिनांक 24 अप्रैल, 2013 के द्वारा परिसमापन में लाया गया था. परिसमापक श्री आर. के. राठौर, सहकारी निरीक्षक/सहकारिता विस्तार अधिकारी खुरई, जिला सागर द्वारा विधिवत् कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटियां सागर, (मध्यप्रदेश) मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महिला बहुउद्देश्यीय सहकारी समिति मर्या., बाहरपुर, विकासखण्ड खुरई, जिला सागर (म.प्र.) जिसका पंजीयन क्रमांक 1212, दिनांक 02 अगस्त, 2005 है का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 11 दिसम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(07-F)

---

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के अन्तर्गत]

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, महुआखेड़ा, विकासखण्ड शाहगढ़, जिला सागर, जिसका पंजीयन क्रमांक 1444, दिनांक 22 जून, 2012 है. के द्वारा संस्था का निर्वाचन कराने में असफल रहने के कारण कार्यालयीन आदेश क्र./विधि/217, दिनांक 11 फरवरी, 2015 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड शाहगढ़, जिला सागर को परिसमापक नियुक्त किया गया था. संस्था के सदस्यों की मांग एवं संस्था की विशेष आम सभा दिनांक 13 फरवरी, 2015 में संस्था को पुनर्जीवित करने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया. परिसमापक द्वारा संस्था को पुनर्जीवित करने की अनुशंसा करते हुए प्रस्ताव इस कार्यालय को प्रस्तुत किया गया. पारित प्रस्ताव एवं परिसमापक की अनुशंसा के आधार पर संस्था व उसके सदस्यों के हित में संस्था को पुनर्जीवित किया जाना आवश्यक हो जाता है.

अत: मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर (मध्यप्रदेश) मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कार्यालयीन आदेश क्र./विधि/217, दिनांक 11 फरवरी, 2015 के द्वारा जारी परिसमापन आदेश निरस्त करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, महुआखेड़ा, विकासखण्ड शाहगढ़, जिला सागर, जिसका पंजीयन क्रमांक 1444, दिनांक 22 जून, 2012 को इस शर्त पर पुनर्जीवित करता हूँ कि संस्था एक माह के अन्दर निर्वाचन हेतु प्रस्ताव इस कार्यालय में प्रस्तुत करें. साथ ही कार्य संचालन हेतु निम्नानुसार 11 सदस्यीय गठित अस्थायी कमेटी का गठन 3 माह के लिये गठित करता हूँ :-

| क्र. | नाम | पद |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | श्रीमती कोशल्या बाई | अध्यक्ष |
| 2. | श्रीमती सुनीता बाई | उपाध्यक्ष |
| 3. | श्रीमती माया बाई | संचालक |
| 4. | श्रीमती सुमित्रा बाई | संचालक |
| 5. | श्रीमती सिया रानी | संचालक |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 6. | श्रीमती कलाबती | संचालक |
| 7. | श्रीमती दया बाई | संचालक |
| 8. | श्रीमती फूल बाई | संचालक |
| 9. | श्रीमती प्यारी बाई | संचालक |
| 10. | श्रीमती केश कुंवर | संचालक |
| 11. | श्रीमती सुशीला | संचालक |

संस्था का निर्वाचन 03 माह में करवाकर नव निर्वाचित कमेटी को कार्यभार सोंपा जावे.

यह आदेश आज दिनांक..................को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(07-G)

---

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के अन्तर्गत]

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, ग्वालपुरा, विकासखण्ड शाहगढ़, जिला सागर जिसका पंजीयन क्रमांक 1446, दिनांक 22 जून, 2012 है. के द्वारा संस्था का निर्वाचन कराने में असफल रहने के कारण कार्यालयीन आदेश क्र./विधि/216, दिनांक 11 फरवरी, 2015 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड शाहगढ़, जिला सागर को परिसमापक नियुक्त किया गया था. संस्था के सदस्यों की मांग एवं संस्था की विशेष आम सभा दिनांक 11 फरवरी, 2015 में संस्था को पुनर्जीवित करने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया. परिसमापक द्वारा संस्था को पुनर्जीवित करने की अनुशंसा करते हुए प्रस्ताव इस कार्यालय को प्रस्तुत किया गया. पारित प्रस्ताव एवं परिसमापक की अनुशंसा के आधार पर संस्था व उसके सदस्यों के हित में संस्था को पुनर्जीवित किया जाना आवश्यक हो जाता है.

अत: मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर (मध्यप्रदेश) मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कार्यालयीन आदेश क्र./विधि/214, दिनांक 11 फरवरी, 2015 के द्वारा जारी परिसमापन आदेश निरस्त करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, विकासखण्ड शाहगढ़, जिला सागर, जिसका पंजीयन क्रमांक 1446, दिनांक 22 जून, 2012 को इस शर्त पर पुनर्जीवित करता हूँ कि संस्था एक माह के अन्दर निर्वाचन हेतु प्रस्ताव इस कार्यालय में प्रस्तुत करे. साथ ही कार्य संचालन हेतु निम्नानुसार 11 सदस्यीय गठित अस्थायी कमेटी का गठन 3 माह के लिये गठित करता हूँ :-

| क्र. | नाम | पद |
|---|---|---|
| 1. | श्री शिवलाल | अध्यक्ष |
| 2. | श्री जमना | उपाध्यक्ष |
| 3. | श्रीमती रती बाई | संचालक |
| 4. | श्री भूपत लोधी | संचालक |
| 5. | श्री हरदेव यादव | संचालक |
| 6. | श्री राजू यादव | संचालक |
| 7. | श्रीमती कली बाई | संचालक |
| 8. | श्री अच्छे यादव | संचालक |
| 9. | श्री देवकी यादव | संचालक |
| 10. | श्री देशराज | संचालक |
| 11. | श्री आशाराम | संचालक |

संस्था का निर्वाचन 03 माह में करवाकर नव निर्वाचित कमेटी को कार्यभार सोंपा जावे.

यह आदेश आज दिनांक..................को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

**पी. आर. कावड़कर,**
उप-पंजीयक.

(07-H)

## कार्यालय परिसमापक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी, राहतगढ़

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर के आदेशानुसार मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

| क्रमांक | संस्था का नाम | पंजीयन क्रमांक/दिनांक | परिसमापन आदेश क्रमांक/दिनांक |
|---|---|---|---|
| 1. | सीहोरा प्रा.उ. सह. भं. मर्या., सीहोरा | 727/24-02-1998 | 2244/28-07-2011 |
| 2. | बीड़ी उ. सह. स. मर्या., खामखेड़ा, राहतगढ़ | 1250/01-12-2007 | 201/11-02-2015 |
| 3. | महिला बहु. सह. समि. मर्या., मानकीसलैया | 878/19-07-2002 | 2025/02-11-2010 |

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-71 (1) के अंतर्गत परिसमापन दिनांक से संस्थाओं की समस्त आस्तियां परिसमापक में वेष्ठित हो गई हैं. अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध दावों को इस सूचना के प्रकाशन दिनांक से 60 दिवस के अंदर मय प्रमाणों के यदि कोई हो, तो लिखितरूप में मेरे समक्ष कार्यालय उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, सागर में कार्यालयीन दिवसों में कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे. समयावधि उपरांत उनके कोई दावे एवं आपत्ति मान्य नहीं होगी तथा संस्थाओं की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध दायित्व स्वमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यदि उक्त संस्थाओं में अभिलेख या आस्तियां/डेडस्टॉक/संस्था का रिकॉर्ड किसी के पास हो, तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौंपें यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियां या अभिलेख या रिकॉर्ड एवं डेडस्टॉक नहीं सौंपे गये हैं तो सम्बंधित के विरुद्ध उनको बसूलने हेतु विधिवत् वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी सम्बन्धित की होगी.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख एवं आस्तियाँ समस्त प्रयासों के बावजूद प्राप्त नहीं होती हैं तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्यों के दावे, आपत्तियों तथा लेनदारी एवं देनदारी का निराकरण गतवर्षों की अंकेक्षित स्थिति विवरण पत्रकों के आधार पर परिसमापक के विवेक व सक्षम अधिकारी के अनुमोदन उपरांत किया जावेगा.

यह सूचना आज दिनांक 23 नवम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई.

(08)

---

## कार्यालय परिसमापक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी, जैसीनगर

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं सागर के आदेशानुसार मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

| क्रमांक | संस्था का नाम | पंजीयन क्रमांक/दिनांक | परिसमापन आदेश क्रमांक/दिनांक |
|---|---|---|---|
| 1. | बीड़ी उ. सह. स. मर्या., किल्लाई | 1255/18-01-2008 | 202/11-02-2015 |
| 2. | बीड़ी उ. सह. स. मर्या., बिलहरा | 1289/23-02-2008 | 203/11-02-2015 |

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-71 (1) के अंतर्गत परिसमापन दिनांक से संस्थाओं की समस्त आस्तियां परिसमापक में वेष्ठित हो गई हैं. अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध दावों को इस सूचना के प्रकाशन दिनांक से 60 दिवस के अंदर मय प्रमाणों के यदि कोई हो, तो लिखितरूप में मेरे समक्ष कार्यालय उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, सागर में कार्यालयीन दिवसों में कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे. समयावधि उपरांत उनके कोई दावे एवं आपत्ति मान्य नहीं होगी तथा संस्थाओं की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध दायित्व स्वमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यदि उक्त संस्थाओं में अभिलेख या आस्तियां/डेडस्टॉक/संस्था का रिकॉर्ड किसी के पास हो, तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौंपें यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियां या अभिलेख या रिकॉर्ड एवं डेडस्टॉक नहीं सौंपे गये हैं तो सम्बंधित के विरुद्ध उनको बसूलने हेतु विधिवत् वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी सम्बन्धित की होगी.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख एवं आस्तियाँ समस्त प्रयासों के बावजूद प्राप्त नहीं होती हैं तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्यों के दावे, आपत्तियों तथा लेनदारी एवं देनदारी का निराकरण गतवर्षों की अंकेक्षित स्थिति विवरण पत्रकों के आधार पर परिसमापक के विवेक व सक्षम अधिकारी के अनुमोदन उपरांत किया जावेगा.

यह सूचना आज दिनांक 23 नवम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई.

**बसंत रोहित,**
सहकारी निरीक्षक/सहकारिता
विस्तार अधिकारी.

(08-A)

## कार्यालय परिसमापक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी, मालथौन

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर के आदेशानुसार मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है :-

| क्रमांक | संस्था का नाम | पंजीयन क्रमांक/दिनांक | परिसमापन आदेश क्रमांक/दिनांक |
|---|---|---|---|
| 1. | आदर्श गृह निर्माण सह. समि. मर्या., मालथौन | 27/25-03-1989 | 2881/12-09-2012 |
| 2. | महिला बहु. सह. समि. मर्या., आसोली | 1214/16-08-2005 | 757/24-04-2013 |

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-71 (1) के अंतर्गत परिसमापन दिनांक से संस्थाओं की समस्त आस्तियां परिसमापक में वेष्ठित हो गई हैं. अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध दावों को इस सूचना के प्रकाशन दिनांक से 60 दिवस के अंदर मय प्रमाणों के यदि कोई हो, तो लिखितरूप में मेरे समक्ष कार्यालय उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, सागर में कार्यालयीन दिवसों में कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे. समयावधि उपरांत उनके कोई दावे एवं आपत्ति मान्य नहीं होगी तथा संस्थाओं की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध दायित्व स्वमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यदि उक्त संस्थाओं में अभिलेख या आस्तियां/डेडस्टॉक/संस्था का रिकॉर्ड किसी के पास हो, तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौंपें यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियां या अभिलेख या रिकॉर्ड एवं डेडस्टॉक नहीं सौंपे गये हैं तो सम्बंधित के विरुद्ध उनको बसूलने हेतु विधिवत् वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी सम्बन्धित की होगी.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख एवं आस्तियाँ समस्त प्रयासों के बावजूद प्राप्त नहीं होती हैं तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्यों के दावे, आपत्तियों तथा लेनदारी एवं देनदारी का निराकरण गतवर्षों की अंकेक्षित स्थिति विवरण पत्रकों के आधार पर परिसमापक के विवेक व सक्षम अधिकारी के अनुमोदन उपरांत किया जावेगा.

यह सूचना आज दिनांक 09 नवम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई.

(09)

## कार्यालय परिसमापक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी, खुरई

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर के आदेशानुसार मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है :-

| क्रमांक | संस्था का नाम | पंजीयन क्रमांक/दिनांक | परिसमापन आदेश क्रमांक/दिनांक |
|---|---|---|---|
| 1. | बीड़ी उ. सह. स. मर्या., बरौदिया नौनगर | 1241/10-10-2007 | 204/11-02-2015 |
| 2. | बीड़ी उ. सह. स. मर्या., बम्होरी नवाब | 1245/31-10-2007 | 205/11-02-2015 |
| 3. | बीड़ी उ. सह. स. मर्या., अब्दुल हमीद वार्ड खुरई | 1251/01-12-2007 | 206/11-02-2015 |
| 4. | बीड़ी उ. सह. स. मर्या., तोड़ा काछी | 1240/10-10-2007 | 207/11-02-2015 |
| 5. | बीड़ी उ. सह. स. मर्या., पलकाटोर | 1253/14-12-2007 | 208/11-02-2015 |

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-71 (1) के अंतर्गत परिसमापन दिनांक से संस्थाओं की समस्त आस्तियां परिसमापक में वेष्ठित हो गई हैं. अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध दावों को इस सूचना के प्रकाशन दिनांक से 60 दिवस के अंदर मय प्रमाणों के यदि कोई हो, तो लिखित रूप में मेरे समक्ष कार्यालय उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं सागर में कार्यालयीन दिवसों में कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे. समयावधि उपरांत उनके कोई दावे एवं आपत्ति मान्य नहीं होंगी तथा संस्थाओं की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध दायित्व स्वमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यदि उक्त संस्थाओं में अभिलेख या आस्तियां/डेडस्टॉक/संस्था का रिकॉर्ड किसी के पास हो, तो अविलम्ब अद्योहस्ताक्षरकर्ता को सौंपे यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियां या अभिलेख या रिकॉर्ड एवं डेडस्टॉक नहीं सौंपे गये हैं तो सम्बंधित के विरुद्ध उनको बसूलने हेतु विधिवत् वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी सम्बन्धित की होगी.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख एवं आस्तियाँ समस्त प्रयासों के बावजूद प्राप्त नहीं होती है तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्यों के दावे, आपत्तियों तथा लेनदारी एवं देनदारी का निराकरण गतवर्षों की अंकेक्षित स्थिति विवरण पत्रकों के आधार पर परिसमापक के विवेक व सक्षम अधिकारी के अनुमोदन उपरांत किया जावेगा.

यह सूचना आज दिनांक 09 जनवरी, 2015 को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई.

**आर. के. राठौर,**
सहकारी निरीक्षक/सहकारिता
विस्तार अधिकारी.

(09-A)

---

## कार्यालय परिसमापक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी, बण्डा

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं सागर के आदेशानुसार मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

| क्रमांक | संस्था का नाम | पंजीयन क्रमांक/दिनांक | परिसमापन आदेश क्रमांक/दिनांक |
|---|---|---|---|
| 1. | पं. दीनदयाल कृषक कल्याण सह. स. मर्या., चौका | 138/31-03-2004 | 213/11-02-2015 |

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-71 (1) के अंतर्गत परिसमापन दिनांक से संस्थाओं की समस्त आस्तियां परिसमापक में वेष्ठित हो गई हैं. अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध दावों को इस सूचना के प्रकाशन दिनांक से 60 दिवस के अंदर मय प्रमाणों के यदि कोई हो, तो लिखित रूप में मेरे समक्ष कार्यालय उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं सागर में कार्यालयीन दिवसों में कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे. समयावधि उपरांत उनके कोई दावे एवं आपत्ति मान्य नहीं होंगी तथा संस्थाओं की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध दायित्व स्वमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यदि उक्त संस्थाओं में अभिलेख या आस्तियां/डेडस्टॉक/संस्था का रिकॉर्ड किसी के पास हो, तो अविलम्ब अद्योहस्ताक्षरकर्ता को सौंपे यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियां या अभिलेख या रिकॉर्ड एवं डेडस्टॉक नहीं सौंपे गये हैं तो सम्बंधित के विरुद्ध उनको बसूलने हेतु विधिवत् वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी सम्बन्धित की होगी.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख एवं आस्तियाँ समस्त प्रयासों के बावजूद प्राप्त नहीं होती है तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्यों के दावे, आपत्तियों तथा लेनदारी एवं देनदारी का निराकरण गतवर्षों की अंकेक्षित स्थिति विवरण पत्रकों के आधार पर परिसमापक के विवेक व सक्षम अधिकारी के अनुमोदन उपरांत किया जावेगा.

यह सूचना आज दिनांक 23 जनवरी, 2015 को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई.

(10)

---

## कार्यालय परिसमापक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी, शाहगढ़

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं सागर के आदेशानुसार मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत निम्नलिखित

सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है :-

| क्रमांक | संस्था का नाम | पंजीयन क्रमांक/दिनांक | परिसमापन आदेश क्रमांक/दिनांक |
|---|---|---|---|
| 1. | हरिजन चमड़ा उ. सह. समि. मर्या., शाहगढ़ | 1233/16-03-2007 | 195/11-02-2015 |

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-71 (1) के अंतर्गत परिसमापन दिनांक से संस्थाओं की समस्त आस्तियां परिसमापक में वेष्ठित हो गई हैं. अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध दावों को इस सूचना के प्रकाशन दिनांक से 60 दिवस के अंदर मय प्रमाणों के यदि कोई हो, तो लिखित रूप में मेरे समक्ष कार्यालय उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं सागर में कार्यालयीन दिवसों में कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे. समयावधि उपरांत उनके कोई दावे एवं आपत्ति मान्य नहीं होंगी तथा संस्थाओं की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध दायित्व स्वमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यदि उक्त संस्थाओं में अभिलेख या आस्तियां/डेडस्टॉक/संस्था का रिकॉर्ड किसी के पास हो, तो अविलम्ब अद्योहस्ताक्षरकर्ता को सौंपे यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियां या अभिलेख या रिकॉर्ड एवं डेडस्टॉक नहीं सौंपे गये हैं तो सम्बंधित के विरुद्ध उनको बसूलने हेतु विधिवत् वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी सम्बन्धित की होगी.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख एवं आस्तियाँ समस्त प्रयासों के बावजूद प्राप्त नहीं होती है तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्यों के दावे, आपत्तियों तथा लेनदारी एवं देनदारी का निराकरण गतवर्षों की अंकेक्षित स्थिति विवरण पत्रकों के आधार पर परिसमापक के विवेक व सक्षम अधिकारी के अनुमोदन उपरांत किया जावेगा.

यह सूचना आज दिनांक 23 जनवरी, 2015 को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई.

**रामजी खरे,**
सहकारी निरीक्षक/सहकारिता
विस्तार अधिकारी.

(10-A))

---

## कार्यालय उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सतना

सतना, दिनांक 06 अक्टूबर, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2015/1110.—कार्यालयीन आदेश क्र./परि./2014/1227, दिनांक 10 दिसम्बर, 2014 द्वारा संस्था इंदिरा महिला बहुउद्देशीय सह. समिति मर्या.,देवमऊ दलदल, पंजीयन क्रमांक 449, दिनांक 10 अप्रैल, 2003 को परिसमापन में लाया गया था, परिसमापक द्वारा संस्था की समस्त लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है.

संस्था के परिसमापक श्री सुजीत सिंह, सहकारी निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन अवलोकन पश्चात् मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अत: मैं, आर. पी. पाल, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सतना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक- एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों को प्रयोग करते हुए इंदिरा महिला बहुउद्देशीय सह. समिति मर्या.,देवमऊ दलदल, जिला सतना, पंजीयन क्रमांक 449, दिनांक 10 अप्रैल, 2003 का पंजीयन निरस्त करता हूं. आदेश दिनांक से उक्त संस्था विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 30 सितम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(11)

---

सतना, दिनांक 06 अक्टूबर, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2015/1111.—कार्यालयीन आदेश क्र./परि./2014/1214, दिनांक 10 दिसम्बर, 2014 द्वारा संस्था महिला बहुउद्देशीय सह. समिति मर्या.,मगराज, पंजीयन क्रमांक 378, दिनांक 10 अप्रैल, 2002 को परिसमापन में लाया गया था, परिसमापक द्वारा संस्था की समस्त लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है.

संस्था के परिसमापक श्री सुजीत सिंह, सहकारी निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन अवलोकन पश्चात् मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अतः मैं, आर. पी. पाल, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सतना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक- एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों को प्रयोग करते हुए महिला बहुउद्देशीय सह. समिति मर्या.,मगराज, जिला सतना, पंजीयन क्रमांक 378, दिनांक 10 अप्रैल, 2002 का पंजीयन निरस्त करता हूं. आदेश दिनांक से उक्त संस्था विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 30 सितम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(11-A)

---

सतना, दिनांक 06 अक्टूबर, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2015/1112.—कार्यालयीन आदेश क्र./परि./2014/1228, दिनांक 10 दिसम्बर, 2014 द्वारा संस्था शारदा महिला बहुउद्देशीय सह. समिति मर्या., सिघौली, पंजीयन क्रमांक 580, दिनांक 31 जुलाई, 2010 को परिसमापन में लाया गया था, परिसमापक द्वारा संस्था की समस्त लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है.

संस्था के परिसमापक श्री सुजीत सिंह, सहकारी निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन अवलोकन पश्चात् मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अतः मैं, आर. पी. पाल, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सतना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक- एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों को प्रयोग करते हुए शारदा महिला बहुउद्देशीय सह. समिति मर्या., सिघौली, जिला सतना, पंजीयन क्रमांक 580, दिनांक 31 जुलाई, 2010 का पंजीयन निरस्त करता हूं. आदेश दिनांक से उक्त संस्था विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 30 सितम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

**आर. पी. पाल,**
उप-रजिस्ट्रार.

(11-B)

---

## कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन

उज्जैन, दिनांक 16 नवम्बर, 2015

**सार्वजनिक सूचना**

क्र./परि./2015/क्यू.—सर्व-साधारण की जानकारी के लिये यह विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, उज्जैन, जिला उज्जैन के आदेश से मुझे निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं का परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

| क्रमांक | नाम संस्था | पंजीयन क्रमांक/दिनांक | परिसमापन आदेश क्रमांक/दिनांक |
|---|---|---|---|
| 1. | श्री कृष्ण साख सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन | 1490/18-09-1998 | 2816/03-08-2015 |

अतः मैं, आर. एल. नागर, सहकारी निरीक्षक, सर्व-साधारण की जानकारी के लिये सूचना प्रकाशित करता हूँ कि उक्त संस्था के विरुद्ध किसी भी व्यक्ति/संस्था का कोई लेना-देना शेष हो तो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के दो माह के अन्दर अपने दावे/आपत्ति प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन में प्रस्तुत करें. उक्त अवधि में पेश न होने वाले दावे/आपत्ति या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी तथा जो भी रेकॉर्ड उपलब्ध होगा उसके अनुसार ही कार्यवाही की जाकर उक्त संस्थाओं के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जावेंगे.

यह भी सूचित किया जाता है कि किसी व्यक्ति/सदस्यों/भूतपूर्व पदाधिकारियों के पास इस समिति की कोई लेखापुस्तकें, रोकड़, चल-अचल सम्पत्तियों या अन्य कोई भी सामान अथवा रिकॉर्ड आदि हो तो इस सूचना के प्रकाशित होने के एक माह के अन्दर मुझे प्रस्तुत करके रसीद प्राप्त करें, अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत होने के बाद किसी भी व्यक्ति के पास इस समिति का उपरोक्त रेकार्ड होने की जानकारी मिली तो उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसका दायित्व उसका स्वयं का होगा.

यह सम्यक सूचना आज दिनांक 16 नवम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गयी.

**आर. एल. नागर,**
परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

(12)

## कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के अन्तर्गत]

परिसमापन समिति माँ. नर्मदा प्रा. उपभोक्ता सहकारी समिति मर्यादित, होशंगाबाद पंजीयन क्रमांक 2813, दिनांक 29 जुलाई, 2004 को कार्यालयीन आदेश क्रं./परिसमापन/1093/परि.2013/............., दिनांक 18 सितम्बर, 2013 द्वारा परिसमापन में लाया जाकर श्री डी. पी. पाल, उप-अंकेक्षक, को परिसमापक नियुक्त किया गया.

परिसमापक द्वारा दिनांक 16 सितम्बर, 2015 को संस्था के सदस्यों की विशेष आमसभा आयोजित कर संस्था के कार्य संचालन एवं पुनर्जीवित करने हेतु सदस्यों से चर्चा कर विधिवत्/ठहराव पारित किया गया. उक्त प्रस्ताव का अवलोकन किया गया. परिसमापक द्वारा प्रस्ताव/ठहराव संलग्न कर संस्था को पुनर्जीवित करने हेतु अनुशंसा की गई है साथ ही नामांकित संचालक मण्डल के नाम प्रस्तावित किये है. मेरी राय में संस्था का अस्तित्व में बनाये रखना उचित है. तद्नुसार प्रस्ताव से सहमत होते हुए, मैं के. पाटनकर, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, होशंगाबाद मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69(4) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुऐ माँ. नर्मदा प्रा. उपभोक्ता सहकारी समिति मर्यादित, होशंगाबाद पंजीयन क्रमांक 2813, दिनांक 29 जुलाई, 2004 को कार्यालयीन आदेश क्रं./परिसमापन/1093/परि.2813, दिनांक 18 सितम्बर, 2013 को समाप्त कर संस्था को पुनर्जीवित करता हूँ. संस्था के कार्य संचालन हेतु नामांकित मण्डल का अनुमोदन किया जाता है.

### नामांकित संचालक मण्डल

| क्रमांक | नाम | पद |
|---|---|---|
| 1. | श्री नूरुल हसन | अध्यक्ष |
| 2. | श्रीमती ऊषा | उपाध्यक्ष |
| 3. | श्रीमती फौजिया | उपाध्यक्ष |
| 4. | श्री गेंदालाल मॉझी | संचालक |
| 5. | श्री शाकिर असमी | संचालक |
| 6. | श्री जगदीश | संचालक |
| 7. | श्री रामभरोसे | संचालक |
| 8. | श्री अशफाक बेग | संचालक |
| 9. | श्रीमती तलतू | संचालक |
| 10. | श्री हरिओम | संचालक |
| 11. | श्री जयाऊल हसन | संचालक |

यह आदेश आज दिनांक 22 सितम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

**के. पाटनकर,**
उप-पंजीयक.

(13)

## कार्यालय उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, जिला धार

धार, दिनांक 19 नवम्बर, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2015/1807.—प्रगति साख सहकारी संस्था मर्या., निसरपुर, तहसील कुक्षी, जिला धार जिसका पंजीयन क्रमांक 76, दिनांक 10 अक्टूबर, 2012 तथा नवीन पंजीयन क्रमांक 1457, दिनांक 08 जनवरी, 2014 है, संस्था कार्यवाही विवरण दिनांक 22 अक्टूवर, 2014 अनुसार संस्था में कुल 23 प्रवर्तक सदस्य हैं. प्रवर्तक सदस्य एवं प्रबंधकारिणी समिति द्वारा संस्था संचालन में कोई रुचि नहीं ली जाकर सदस्यों को अंशपूजी लौटाते हुए पंजीयन निरस्ती हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था विगत वर्षों से निष्क्रिय होकर कोई लेन-देन का कार्य नहीं कर रही है. संस्था मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं नियम 1962 तथा पंजीकृत उपविधियों के प्रावधानो का पालन नहीं कर रही है. इससे स्पष्ट होता है कि संस्था अकार्यशील होकर अपने उद्देश्य के अनुरुप कार्य नहीं कर रही है.

अत: मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, जिला धार मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रगति साख सहकारी संस्था मर्या., निसरपुर को मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाते हुए धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री प्रदीप पाठक, उप-अंकेक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 19 नवम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

**ओ. पी. गुप्ता,**
उप-रजिस्ट्रार.

(14)

## कार्यालय उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटीज, जिला सीधी

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के अन्तर्गत]

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2015/240, दिनांक 01 अप्रैल, 2015 के अनु. क्र. 126 के द्वारा प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., कोतरकला सीधी जिसका पंजीयन क्रमांक AR/SDH/614, दिनांक 01 फरवरी, 1991 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन अन्तर्गत लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री सत्य प्रकाश पाण्डेवा, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया.

परिसमापक श्री पाण्डेवा द्वारा अपने पत्र दिनांक 17 अगस्त, 2015 से संस्था के सदस्यों की आमसभा दिनांक 16 अगस्त, 2015 जिसमें उपस्थित सदस्यों द्वारा संस्था को पुनर्जीवित करने सम्बन्धी प्रस्ताव पारित किया गया है, संलग्न कर संस्था को पुनर्जीवित करने की अनुशंसा की गई है.

प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत तथ्यों के अवलोकन उपरान्त मेरी राय में प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., कोतरकला सीधी का अस्तित्व में बने रहना उसके सदस्यों के हित में आवश्यक हैं.

अत: मैं, आर. पी: पाल, उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटीज, जिला सीधी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के तहत् पंजीयक के अधिकार जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग मंत्रालय भोपाल के विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुये प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., कोतरकला सीधी जिसका पंजीयन क्रमांक AR/SDH/614, दिनांक 01 फरवरी, 1991 है, को एतद्द्वारा परिसमापन से मुक्त करता हूँ तथा कार्य संचालन हेतु आगामी तीन माह के लिए संस्था के सदस्यों में से निम्नानुसार संचालक मण्डल नामांकित करता हूँ:-

| | | |
|---|---|---|
| 1. | श्री विभा सिंह | अध्यक्ष |
| 2. | श्रीमती शालिनी सिंह | उपाध्यक्ष |
| 3. | श्री अजय सिंह | उपाध्यक्ष |
| 4. | श्री यशपाल सिंह | संचालक |
| 5. | श्री गोपाल सिंह | संचालक |
| 6. | श्री मोहन लाल पटेल | संचालक |
| 7. | श्री जय सिंह | संचालक |
| 8. | श्रीमती शारदा देवी | संचालक |
| 9. | श्रीमती माधुरी सिंह | संचालक |
| 10. | श्री अखिलेश्वर सिंह | संचालक |
| 11. | श्री उधव लाल बढ़ई | संचालक |

यह आदेश आज दिनांक 19 अगस्त, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(15)

सीधी, दिनांक 18 सितम्बर, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2015/918.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2015/240, दिनांक 01 अप्रैल, 2015 के अनु. क्र. 126 के द्वारा आदिवासी मछुआ सहकारी समिति मर्या., अकौना शेरगांव, जिला सीधी जिसका पंजीयन क्रमांक DR/SDH/1081, दिनांक 18 अप्रैल, 2008 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन अन्तर्गत लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री हरी राम पनिका, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया.

परिसमापक श्री पनिका द्वारा अपने पत्र दिनांक 14 सितम्बर, 2015 से संस्था के सदस्यों की आमसभा दिनांक 26 अगस्त, 2015 जिसमें उपस्थित सदस्यों द्वारा संस्था को पुनर्जीवित करने सम्बन्धी प्रस्ताव पारित किया गया है, संलग्न कर संस्था को पुनर्जीवित करने की अनुशंसा की गई है.

प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत तथ्यों के अवलोकन उपरान्त मेरी राय में आदिवासी मछुआ सहकारी समिति मर्या., अकौना शेरगांव, जिला सीधी का अस्तित्व में बने रहना उसके सदस्यों के हित में आवश्यक हैं.

अतः मैं, आर. पी. पाल, उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटीज, जिला सीधी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के तहत् पंजीयक के अधिकार जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग मंत्रालय भोपाल के विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुये आदिवासी मछुआ सहकारी समिति मर्या., अकौना शेरगांव, जिला सीधी जिसका पंजीयन क्रमांक DR/SDH/1081, दिनांक 18 अप्रैल, 2008 है, को एतद्द्वारा परिसमापन से मुक्त करता हूँ तथा कार्य संचालन हेतु आगामी तीन माह के लिए संस्था के सदस्यों में से निम्नानुसार संचालक मण्डल नामांकित करता हूँ:-

| | | |
|---|---|---|
| 1. | श्रीमती लालावती कोल | अध्यक्ष |
| 2. | श्रीमती कलावती कोल | उपाध्यक्ष |
| 3. | श्रीमती फूलमती कोल | उपाध्यक्ष |
| 4. | श्रीमती छोटी कोल | संचालक |
| 5. | श्री कल्लू कोल | संचालक |
| 6. | श्री ललई कोल | संचालक |
| 7. | श्री जैकिसन | संचालक |
| 8. | श्री रजई कोल | संचालक |
| 9. | श्रीमती बुटउआ कोल | संचालक |
| 10. | श्री निहठी कोल | संचालक |
| 11. | श्री लल्ला कोल | संचालक |

यह आदेश आज दिनांक 17 सितम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

**आर. पी. पाल,**
उप-रजिस्ट्रार.

(15-A)

## कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगोन

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

आदेश में वर्णित प्रारूप के कॉलम क्र. 02 में उल्लेखित सहकारी संस्थाएं जिनके पंजीयन क्रं. कॉलम 04 में दर्शित हैं एवं कॉलम क्र. 05 अनुसार दर्शित कार्यालयीन आदेश क्रमांक से संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर कॉलम क्र. 06 में उल्लेखित अधिकारियों को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापकों द्वारा संस्थाओं की परिसमापन कार्यवाही पूर्ण कर स्थिति विवरण पत्रक निरंक किया जाकर अंतिम प्रतिवेदन पंजीयन निरस्त किये जाने हेतु प्रस्तुत किया है. अंतिम स्थिति विवरण पत्रक का सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, द्वारा नियुक्त अंकेक्षण द्वारा अंकेक्षण कराया जाकर अंकेक्षण टीप निर्गमित की गई है. जिससे स्पष्ट है कि संस्था की देनदारियां एवं लेनदारियां का निराकरण हो चुका है, ऐसी स्थिति में संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने योग्य है.

अत: मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थायें जिला खरगोन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के विज्ञप्ति क्रमांक/एफ/5/1/99/15-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत् प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये प्रारूप में उल्लेखित निम्नांकित सहकारी समितियों का पंजीयन निरस्त करता हूँ. उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 17 जुलाई, 2015 से निर्गमित निकाय (बॉडी कार्पोरेट) के रूप में नहीं रहेगा.

**प्रारूप**

| क्र. | नाम संस्था | विकासखण्ड | पंजीयन क्र. | परिसमापन आदेश क्र. | परिसमापक का नाम |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | नर्मदा प्राथ. सह. उपभोक्ता भण्डार मर्या., सनावद. | बडवाह | 790/31-12-1990 | 544/03-02-1996 | श्री भुषण जडे, उप-अंकेक्षक. |
| 2. | श्री गणेश बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मोठापुरा. | खरगोन | 159/19-05-2008 | 121/31-01-2015 | श्री महेन्द्र ठाकुर, सहकारी निरीक्षक. |

यह आदेश आज दिनांक 17 जुलाई, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(16)

---

खरगोन, दिनांक 30 अक्टूबर, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) एवं धारा-70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2015/1309.—प्रभारी अधिकारी श्री बी. एल. सोलंकी के पत्र दिनांक 06 अक्टूबर, 2015 द्वारा अवगत कराया गया है कि संस्था संचालक मण्डल एवं सदस्यों से चर्चा अनुसार संस्था के सदस्य ना तो संस्था को चलाना चाहते है, ना ही निर्वाचन करवाना चाहते है.

अत: मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/15-1/सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निमाड बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., खरगोन, पंजीयन क्रमांक/K.R.G.N./476/1972, दिनांक 15 मार्च, 1972 को इस आदेश द्वारा परिसमापन में लाते हुए श्री बाबूलाल सोलंकी, सहकारिता विस्तार अधिकारी को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के तहत् परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 19 अक्टूबर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(16-A)

---

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

महाप्रभुजी साख सहकारिता संस्था मर्या., खरगोन, तहसील खरगोन, जिला खरगोन जिसका पंजीयन क्रमांक/एन.एम.आर. (के. आर. जी. एम.) 1809, दिनांक 08 सितम्बर, 2014 को कार्यालयीन आदेश क्र./1592/दिनांक 22 दिसम्बर, 2014 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाया गया है. परिसमापक द्वारा पंजीयन निरस्ती हेतु परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर निरंक स्थिति विवरण पत्रक के साथ अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. परिसमापक द्वारा की गई कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थायें खरगोन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के विज्ञप्ति क्रमांक/एफ/5/1/99/15-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत् प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ. उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 30 नवम्बर, 2015 से निगमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा.

यह आदेश आज दिनांक 30 नवम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(16-B)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के अन्तर्गत]

लक्ष्मी महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., बडी, तहसील झिरन्या, जिला खरगोन का पंजीयन क्र. /1413, दिनांक 23 मार्च, 2005 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./1317, दिनांक 29 अक्टूबर, 2014 द्वारा परिसमापन में लाया गया था. परिसमापक श्री बी.एल.सोलंकी, सहकारी विस्तार अधिकारी, द्वारा दिनांक 05 दिसम्बर, 2015 को सदस्यों की विशेष आमसभा आयोजित की गई. जिसमें आगामी दो वर्षों की कार्ययोजना बनाकर संस्था को पुनर्जीवित हेतु निर्णय लिया गया.

अत: मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ/5/1/99/पन्द्रह/1/सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा अधिनियम, 69 (4) के अंतर्गत पंजीयक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सदस्यों के व्यापक हित में रानी दुर्गावती महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., बहादरपुरा, तहसील भगवानपुरा, जिला खरगोन का पंजीयन क्र. /1413, दिनांक 23 मार्च, 2005 निम्न शर्तों के साथ पुनर्जीवित किया जाता है.—

1. समिति की प्रस्तुत कार्ययोजना अनुसार अपना कार्य तीन माह में व्यवसाय समिति के उपविधि के अनुरूप करना सुनिश्चित करेगी एवं प्रगति से कार्यालय को अवगत कराएगी.
2. समिति प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् दो माह के भीतर अंकेक्षण हेतु संस्था के वित्तीय पत्रक एवं अन्य अभिलेख कार्यालय को अनिवार्यत: प्रस्तुत करेगी.
3. समिति की तदर्थ प्रबंधकारिणी समिति तीन माह के भीतर निर्वाचन कराये जाने हेतु विधिवत प्रस्ताव कार्यालय में प्रस्तुत करेगी.
4. नामांकित अवधि में संचालक मण्डल द्वारा प्रस्तावित कार्ययोजना अनुसार संचालन न करने पर वैधानिक कार्यवाही की जावेगी.
5. समिति की पुरानी लाभ-हानि एवं समस्त लेनदारी-देनदारी के निराकरण की जिम्मेदारी समिति की होगी.
6. समिति की नामांकित प्रबंधकारिणी निर्वाचन होने तक श्री बी. एल. सोलंकी, सहकारी विस्तार अधिकारी के नियंत्रण एवं मार्गदर्शन में कार्य करेगी एवं प्रत्येक गतिविधियों से अवगत करायेगी.

संस्था की विशेष आम सभा में कार्य संचालन हेतु प्रस्तावित निम्नांकित कार्यकारिणी समिति तीन माह हेतु नामांकित की जाती है, जो उपर्युक्त शर्तों का पालन सुनिश्चित करेगी.

**नामांकित कार्यकारिणी .—**

| | | |
|---|---|---|
| 1. | श्रीमती छाया बाई | अध्यक्ष |
| 2. | श्रीमती कमला बाई | उपाध्यक्ष |
| 3. | श्रीमती बसंती बाई | संचालक |
| 4. | श्रीमती चुन्नी बाई | संचालक |
| 5. | श्रीमती निर्मला बाई | संचालक |
| 6. | श्रीमती तुला बाई | संचालक |
| 7. | श्रीमती झिन्गार बाई | संचालक |
| 8. | श्रीमती सीमा बाई | संचालक |
| 9. | श्रीमती सेवंती बाई | संचालक |
| 10. | श्रीमती सुरमा बाई | संचालक |
| 11. | श्रीमती सकुन्तला बाई | संचालक |

यह आदेश आज दिनांक 16 दिसम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

**बी. एस. अलावा,**
उप-पंजीयक.

(16-C)

## कार्यालय परिसमापक एवं अंकेक्षक अधिकारी, सहकारी समितियाँ, जिला देवास

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

उप/सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला देवास द्वारा निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

| क्रमांक | नाम संस्था | पंजीयन क्रमांक/दिनांक | परिसमापन क्रमांक/दिनांक |
|---|---|---|---|
| 1. | प्रतापनगर गृह निर्माण सहकारी संस्था, देवास | 416/19-04-1981 | 1126/28-05-2014 |
| 2. | तिलहन उत्पा. सहकारी संस्था, कन्नौद | 479/05-11-1982 | 1604/21-07-2014 |
| 3. | दुग्ध उत्पा. सहकारी संस्था, कुसमान्या | 1189/24-12-1982 | 154/27-01-2015 |
| 4. | बीजेश्वर महिला प्रा. उप. भण्डार, कन्नौद | 840/22-07-1997 | 154/27-01-2015 |
| 5. | शा. शिक्षक साख सहकारी संस्था, देवास | 136/30-12-1966 | 154/27-01-2015 |
| 6. | विराट ग्रामोद्योग सह. सं., चिडावद | 338/23-02-1956 | 154/27-01-2015 |
| 7. | चामुण्डा स्टोन क्रेशर सह. सं., देवास | 747/09-03-2002 | 154/27-01-2015 |
| 8. | आदर्श गृ. नि. सह. संस्था मर्या., देवास | 29/13-09-1972 | 2225/05-08-2010 |
| 9. | नटराज फल, सब्जी उत्पा. सह. संस्था, खातेगांव | 1213/23-07-2009 | 2294/01-11-2014 |

सहकारी अधिनियम की धारा-71 (1) के अंतर्गत परिसमापन दिनांक से संस्थाओं की समस्त आस्तियां परिसमापक में वेष्ठित हो गई हैं. अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध दावों को इस सूचना-पत्र के जारी करने के दिनांक से 60 दिवस के अंदर मय प्रमाण के यदि कोई हो, तो लिखित रूप से मेरे कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं ए. बी. रोड, देवास में कार्यालयीन दिवसों से दोपहर 12.00 बजे से 2.00 बजे तक प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे. समयावधि उपरांत उनकी कोई दावे एवं आपत्तियां मान्य नहीं होंगी तथा संस्थाओं की लेखापुस्तकों में लेखाबद्ध दायित्व स्वयमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख या आस्तियां, डेड स्टॉक, संस्था का रिकॉर्ड किसी के पास हो, तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौंपें यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियों या अभिलेख एवं रिकॉर्ड, डेड स्टाक नहीं सौंपे गये हैं तो सम्बंधित के विरुद्ध उनकी बसूलने हेतु विधिवत् वैधानिक कार्यवाही की जावेगी. जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी सम्बन्धित की रहेगी.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख एवं आस्तियाँ समस्त प्रयासों के बाबजूद भी प्राप्त नहीं होती हैं तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्यों के दावे आपत्तियों का निराकरण गत वर्षों के वित्तीय पत्रकों में दर्शाई गई लेनदारी एवं देनदारी की प्रविष्टियां बोगस/शून्यकाल मानकर तदानुसार पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावेगी.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 27 जुलाई, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की गई है.

**डी. एस. बाल्के,**
परिसमापक एवं अंके. अधिकारी.

(17)

---

## कार्यालय परिसमापक एवं सह. वि. अधि. सहकारी समिमियां, बनखेड़ी

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अंतर्गत]

1. परि. कृष्ण महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था, खापरखेडा, पंजीयन क्रमांक 2949, दिनांक 03 जनवरी, 2008.
2. परि. जय संतोषी सहकारी साख संस्था, पिपरिया.
3. परि. तिलक सहकारी साख संस्था, पिपरिया.
4. परि. महिला सहकारी साख संस्था, पिपरिया.
5. परि. महालक्ष्मी सहकारी साख संस्था, पिपरिया.

6. परि. दुर्गा सहकारी साख संस्था, मोकलवाडा, तहसील पिपरिया, जिला होशंगाबाद है, को उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं होशंगाबाद के आदेश क्रमांक/परि./2015/176, होशंगाबाद दिनांक 30 जनवरी, 2015 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मैं, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम क्रमांक-57 (ग) के अंतर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्थाओं के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 (दो) माह के अंदर मय प्रमाण यदि हो तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते है. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे यदि 2 (दो) माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 24 जून, 2015 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

**एस. एस. पगारे,**
सह. वि. अधि. व परिसमापक.

(18)

---

## कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 26 अक्टूबर, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./उपंज./परि.2015/2570.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंज/परि./645, जबलपुर, दिनांक 17 फरवरी, 1999 के द्वारा संस्था आजाद गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 202, दिनांक 31 जनवरी, 1989 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री पुनीत तिवारी, सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण-पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण), सहकारिता, जबलपुर से कराये जाने के उपरांत परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर एवं संस्था की अंकेक्षण टीप में व प्रतिवेदन में संस्था के पास कोई भूमि शेष न रहने से संस्था में अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, शिवम मिश्रा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये आजाद गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 202, दिनांक 31 जनवरी, 1989 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 26 अक्टूबर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(19)

---

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंज/परि./1713, दिनांक 04 जुलाई, 2001 के द्वारा संस्था जबलपुर पत्रकार गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 35, दिनांक 29 अप्रैल, 1964 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री आशीष कुमार शुक्ला, सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण-पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण), सहकारिता, जबलपुर से कराये जाने के उपरांत परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर एवं संस्था की अंकेक्षण टीप में व प्रतिवेदन में संस्था के पास कोई भूमि शेष न रहने से संस्था में अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, शिवम मिश्रा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये जबलपुर पत्रकार गृह निर्माण सहकारी समिति

मर्या., जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 35, दिनांक 29 अप्रैल, 1964 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 26 अक्टूबर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(19-A)

## कार्यालय उप-आयुक्त सहकारिता एवं उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 5 नवम्बर, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./उपंज./परि.2015/2688.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंज/परि./1551, जबलपुर, दिनांक 02 जुलाई, 2013 के द्वारा संस्था श्री सांई खनिज उत्खनन कामगार कारी. सहकारी समिति मर्या., घुघरी , पंजीयन क्रमांक 1748 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री पी. एस. ठाकुर, अंके. अधिकारी द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण-पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, जबलपुर से कराये जाने के उपरांत परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, शिवम मिश्रा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत संस्था श्री सांई खनिज उत्खनन कामगार कारी. सहकारी समिति मर्या., घुघरी , पंजीयन क्रमांक 1748 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 5 नवम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(19-B)

जबलपुर, दिनांक 5 नवम्बर, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./उपंज./परि.2015/2689.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंज/परि./1542, जबलपुर, दिनांक 02 जुलाई, 2013 के द्वारा संस्था सुदीन दाऊ महाराज खनिज उत्खनन सहकारी समिति मर्या., मुरैठ, पंजीयन क्रमांक 1804 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री पी. एस. ठाकुर, अंके. अधिकारी द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण-पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, जबलपुर से कराये जाने के उपरांत परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, शिवम मिश्रा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत संस्था सुदीन दाऊ महाराज खनिज उत्खनन सहकारी समिति मर्या., मुरैठ, पंजीयन क्रमांक 1804 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 5 नवम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

**शिवम मिश्रा,**
उप-आयुक्त सहकारिता.

(19-C)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2016.

# मध्यप्रदेश राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 2 ] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 8 जनवरी 2016-पौष 18, शके 1937

## भाग 3 ( 2 )

### सांख्यिकीय सूचनाएं

### कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश

**मौसम, फसल एवं पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 9 सितम्बर, 2015**

1. **मौसम एवं वर्षा.**—राज्य में इस सप्ताह आकाश मेघाच्छादित रहा है तथा राज्य के अधिकांश जिलों में वर्षा का होना पाया गया है.—

**( अ ) 0.1 मि. मी. से 17.4 मि. मी. तक.**—तहसील गुना, चांचोड़ा (गुना), टीकमगढ़ (टीकमगढ़), छतरपुर (छतरपुर), अजयगढ़ (पन्ना), सिरमोर, हनुमना, हुजूर, गुढ़ (रीवा), जैतहरी, अनूपपुर (अनूपपुर), बांधवगढ़, पाली (उमरिया), गोपदबनास, मझोली, चुरहट, रामपुरनैकिन (सीधी), सुबासराटप्पा, मंदसौर (मंदसौर), मो. बड़ोदिया, शाजापुर (शाजापुर), उदयगढ़ (अलीराजपुर), बदनावर, धार, कुक्षी (धार), बुरहानपुर, खकनार, नेपानगर (बुरहानपुर), इच्छावर, नसरूल्लागंज (सीहोर), रायसेन, गैरतगंज, बरेली, सिलवानी, बाडी (रायसेन), वनखेड़ी, पचमढ़ी (होशंगाबाद), सीहोरा, पाटन, जबलपुर, मंझोली, कुंडम (जबलपुर), कटनी, रीठी, ढीमरखेड़ा (कटनी), बिछिया, नैनपुर, मण्डला (मण्डला) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

**( ब ) 17.5 मि. मी. से 34.9 मि. मी. तक.**—तहसील मुंगावली, चन्देरी (अशोकनगर) राघोगढ़, बमोरी, आरोन, कुम्भराज (गुना), बक्स्वाहा (छतरपुर), कोतमा (अनूपपुर), कुसमी (सीधी), सरदारपुर (धार), सीहोर (सीहोर), उदयपुरा (रायसेन), घोड़ाडोंगरी, शाहपुर, चिचोली, बैतूल, मुल्ताई (बैतूल), सिवनी-मालवा, पिपरिया (होशंगाबाद), डिण्डोरी, शाहपुरा (डिण्डोरी) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

**( स ) 35.0 मि. मी. से 53.1 मि. मी. तक.**—तहसील पुष्पराजगढ़ (अनूपपुर), गोहरगंज (रायसेन), भैंसदेही (बैतूल), बजाग (डिण्डोरी) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

**( द ) 53.2 मि. मी. से 244.9 मि. मी. तक.**—तहसील सिंहावल (सीधी), बड़वारा (कटनी) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

2. **जुताई.**— जिला श्योपुर, ग्वालियर, दतिया, रीवा, सीधी, सिवनी में जुताई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

3. **बोनी.**—जिला श्योपुर, पन्ना, रीवा में खरीफ फसलों की बोनी का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

4. **फसल स्थिति.**—

5. **कटाई.**—

6. **सिंचाई.**—जिला ग्वालियर, दतिया, टीकमगढ़, दमोह, अनूपपुर, उमरिया, देवास, बड़वानी, जबलपुर में सिंचाई हेतु पानी कहीं-कहीं अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

7. **पशुओं की स्थिति.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषप्रद है.

8. **चारा.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

9. **बीज.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

10. **खेतिहर श्रमिक.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर उपलब्ध हैं.

**मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 9 सितम्बर, 2015**

| जिला/तहसीलें | 1.सप्ताह में हुई वर्षा:- (अ) वर्षा का माप (मि. मी.) में (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक. | 2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव:- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर. (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर, रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर. | 3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :- (1) फसल का क्षेत्रफल - (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई. (ब) प्रतिशत. | 5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक). 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति. | 7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि-सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **जिला मुरैना :** | मिलीमीटर | 2. .. | 3. .. | 5. .. | 7. .. |
| 1. अम्बाह | .. | | 4. (1) .. | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 2. पोरसा | .. | | (2) .. | चारा पर्याप्त. | |
| 3. मुरैना | .. | | | | |
| 4. जौरा | .. | | | | |
| 5. सबलगढ़ | .. | | | | |
| 6. कैलारस | .. | | | | |
| **जिला श्योपुर :** | मिलीमीटर | 2. जुताई एवं बोनी व रोपाई का कार्य चालू है. | 3. .. | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. श्योपुर | .. | | 4. (1) धान, बाजरा, ज्वार, तिल, तुअर, उड़द, मूँग. | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 2. कराहल | .. | | | चारा पर्याप्त. | |
| 3. विजयपुर | .. | | (2) .. | | |
| **जिला भिण्ड :** | मिलीमीटर | 2. .. | 3. .. | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. अटेर | .. | | 4. (1) ज्वार, बाजरा, तिल समान. | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 2. भिण्ड | .. | | (2) उपरोक्त फसलें समान. | चारा पर्याप्त. | |
| 3. गोहद | .. | | | | |
| 4. मेहगांव | .. | | | | |
| 5. लहार | .. | | | | |
| 6. मिहोना | .. | | | | |
| 7. रौन | .. | | | | |
| **जिला ग्वालियर :** | मिलीमीटर | 2. जुताई का कार्य चालू है. | 3. कोई घटना नहीं. | 5. अपर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. ग्वालियर | .. | | 4. (1) .. | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 2. डबरा | .. | | (2) .. | चारा पर्याप्त. | |
| 3. भितरवार | .. | | | | |
| 4. घाटीगांव | .. | | | | |
| **जिला दतिया :** | मिलीमीटर | 2. जुताई का कार्य चालू है. | 3. .. | 5. अपर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. सेवढ़ा | .. | | 4. (1) गन्ना, धान, बाजरा, उड़द, तिल, मूंगफली समान. | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 2. दतिया | .. | | | चारा पर्याप्त. | |
| 3. भाण्डेर | .. | | (2)उपरोक्त फसलें समान. | | |
| **जिला शिवपुरी :** | मिलीमीटर | 2. .. | 3. .. | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. शिवपुरी | .. | | 4. (1) .. | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 2. पिछोर | .. | | (2) .. | चारा पर्याप्त. | |
| 3. खनियाधाना | .. | | | | |
| 4. नरवर | .. | | | | |
| 5. करैरा | .. | | | | |
| 6. कोलारस | .. | | | | |
| 7. पोहरी | .. | | | | |
| 8. बदरवास | .. | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| **जिला अशोकनगर:** | मिलीमीटर | 2. . . | 3. . . | 5. पर्याप्त. | 7. . . |
| 1. मुँगावली | 20.0 | | 4. (1) सोयाबीन, मक्का, गन्ना अधिक. | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 2. ईसागढ़ | . . | | उड़द कम. | चारा पर्याप्त. | |
| 3. अशोकनगर | . . | | (2) . . | | |
| 4. चन्देरी | 23.0 | | | | |
| 5. शाढौरा | . . | | | | |
| **जिला गुना :** | मिलीमीटर | 2. . . | 3. . . | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. गुना | 4.8 | | 4. (1) सोयाबीन, मक्का, उड़द. | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 2. राघोगढ़ | 20.0 | | (2) . . | चारा पर्याप्त. | |
| 3. बमोरी | 18.0 | | | | |
| 4. आरोन | 22.0 | | | | |
| 5. चाचौड़ा | 8.0 | | | | |
| 6. कुम्भराज | 25.0 | | | | |
| **जिला टीकमगढ़ :** | मिलीमीटर | 2. . . | 3. कोई घटना नहीं. | 5. अपर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. निवाड़ी | . . | | 4. (1) धान, उर्दा, मूंग, मूँगफली, सोयाबीन | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 2. पृथ्वीपुर | . . | | बिगड़ी हुई. ज्वार, मक्का, तिली, | चारा पर्याप्त. | |
| 3. जतारा | . . | | गन्ना समान. | | |
| 4. टीकमगढ़ | 11.0 | | (2) . . | | |
| 5. बल्देवगढ़ | . . | | | | |
| 6. पलेरा | . . | | | | |
| 7. ओरछा | . . | | | | |
| **जिला छतरपुर :** | मिलीमीटर | 2. . . | 3. कोई घटना नहीं. | 5. . . | 7. पर्याप्त. |
| 1. लवकुश नगर | . . | | 4. (1) तुअर, तिल अधिक. | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 2. गौरीहार | . . | | (2) . . | चारा पर्याप्त. | |
| 3. नौगांव | . . | | | | |
| 4. छतरपुर | 5.0 | | | | |
| 5. राजनगर | . . | | | | |
| 6. बिजावर | . . | | | | |
| 7. बड़ामलहरा | . . | | | | |
| 8. बकस्वाहा | 33.0 | | | | |
| **जिला पन्ना :** | मिलीमीटर | 2. खरीफ फसलों की बोनी | 3. कोई घटना नहीं. | 5. पर्याप्त. | 7. . . |
| 1. अजयगढ़ | 1.8 | का कार्य चालू हैं.. | 4. (1) धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, तुअर, | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 2. पन्ना | . . | | उड़द, मूंग, सोयाबीन, तिल. | चारा पर्याप्त. | |
| 3. गुन्नौर | . . | | (2) . . | | |
| 4. पवई | . . | | | | |
| 5. शाहनगर | . . | | | | |
| ***जिला सागर :** | मिलीमीटर | 2. . . | 3. . . | 5. . . | 7. . . |
| 1. बीना | . . | | 4. (1) . . | 6. . . | 8. . . |
| 2. खुरई | . . | | (2) . . | | |
| 3. बण्डा | . . | | | | |
| 4. सागर | . . | | | | |
| 5. रेहली | . . | | | | |
| 6. देवरी | . . | | | | |
| 7. गढ़ाकोटा | . . | | | | |
| 8. राहतगढ़ | . . | | | | |
| 9. केसली | . . | | | | |
| 10. मालथोन | . . | | | | |
| 11. शाहगढ़ | . . | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| **जिला दमोह :** | मिलीमीटर | 2. . . | 3. कोई घटना नहीं. | 5. अपर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. हटा | . . | | 4. (1) ज्वार, सोयाबीन, उड़द, तुअर, मूंग, | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 2. बटियागढ़ | . . | | मक्का, धान, तिल सुधरी हुई. | चारा पर्याप्त. | |
| 3. दमोह | . . | | (2) . . | | |
| 4. पथरिया | . . | | | | |
| 5. जवेरा | . . | | | | |
| 6. तेन्दूखेड़ा | . . | | | | |
| 7. पटेरा | . . | | | | |
| ***जिला सतना :** | मिलीमीटर | 2. . . | 3. . . | 5. . . | 7. . . |
| 1. रघुराजनगर | . . | | 4. (1) . . | 6. . . | 8. . . |
| 2. मझगवां | . . | | (2) . . | | |
| 3. रामपुर-बघेलान | . . | | | | |
| 4. नागौद | . . | | | | |
| 5. उचेहरा | . . | | | | |
| 6. अमरपाटन | . . | | | | |
| 7. रामनगर | . . | | | | |
| 8. मैहर | . . | | | | |
| 9. बिरसिंहपुर | . . | | | | |
| **जिला रीवा :** | मिलीमीटर | 2. जुताई एवं बोनी व रोपाई | 3. . . | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. त्यौंथर | . . | का कार्य चालू है. | 4. (1) सोयाबीन, उड़द, मूंग अधिक. धान, | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 2. सिरमौर | 5.3 | | चना कम. तुअर, ज्वार समान. | चारा पर्याप्त. | |
| 3. मऊगंज | . . | | (2) . . | | |
| 4. हनुमना | 6.3 | | | | |
| 5. हुजूर | 8.2 | | | | |
| 6. गुढ़ | 3.0 | | | | |
| 7. रायपुरकर्चुलियान | . . | | | | |
| ***जिला शहडोल :** | मिलीमीटर | 2. . . | 3. . . | 5. . . | 7. . . |
| 1. सोहागपुर | . . | | 4. (1) . . | 6. . . | 8. . . |
| 2. ब्यौहारी | . . | | (2) . . | | |
| 3. जैसिंहनगर | . . | | | | |
| 4. जैतपुर | . . | | | | |
| **जिला अनूपपुर :** | मिलीमीटर | 2. . . | 3. कोई घटना नहीं. | 5. अपर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. जैतहरी | 10.9 | | 4. (1) धान, तुअर, कोदों-कुटकी कम. | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 2. अनूपपुर | 11.7 | | मक्का, सोयाबीन, तिल समान. | चारा पर्याप्त. | |
| 3. कोतमा | 33.8 | | (2) . . | | |
| 4. पुष्पराजगढ़ | 50.1 | | | | |
| **जिला उमरिया :** | मिलीमीटर | 2. . . | 3. . . | 5. अपर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. बांधवगढ़ | 12.4 | | 4. (1) मक्का, धान, ज्वार, तिल, मूंग, | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 2. पाली | 11.0 | | कोदों-कुटकी, उड़द, मूंगफली, | चारा पर्याप्त. | |
| 3. मानपुर | . . | | तुअर, बाजरा. | | |
| | | | (2) . . | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| **जिला सीधी :** | मिलीमीटर | 2. जुताई का कार्य चालू है. | 3. . . | 5. . . | 7. . . |
| 1. गोपदवनास | 8.0 | | 4. (1) धान, तुअर, तिल, उड़द, मूंग, ज्वार, मक्का समान. | 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 2. सिंहावल | 65.0 | | (2) . . | | |
| 3. मझौली | 14.0 | | | | |
| 4. कुसमी | 28.0 | | | | |
| 5. चुरहट | 8.5 | | | | |
| 6. रामपुरनैकिन | 6.8 | | | | |
| **जिला सिंगरौली** | मिलीमीटर | 2. . . | 3. . . | 5. . . | 7. . . |
| 1. चितरंगी | . . | | 4. (1) मक्का अधिक. धान कम. तुअर, ज्वार, कोदों उड़द, मूंग, तिल समान. | 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 2. देवसर | . . | | (2) . . | | |
| 3. सिंगरौली | . . | | | | |
| **जिला मन्दसौर :** | मिलीमीटर | 2. . . | 3. . . | 5. . . | 7. . . |
| 1. सुवासरा-टप्पा | 7.0 | | 4. (1) सोयाबीन अधिक. मक्का कम. | 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 2. भानपुरा | . . | | (2) . . | | |
| 3. मल्हारगढ़ | . . | | | | |
| 4. गरोठ | . . | | | | |
| 5. मन्दसौर | 17.0 | | | | |
| 6. श्यामगढ़ | . . | | | | |
| 7. सीतामऊ | . . | | | | |
| 8. धुन्धड़का | . . | | | | |
| 9. संजीत | . . | | | | |
| 10. कयामपुर | . . | | | | |
| **जिला नीमच :** | मिलीमीटर | 2. . . | 3. कोई घटना नहीं. | 5. . . | 7. . . |
| 1. जावद | . . | | 4. (1) . . | 6. . . | 8. . . |
| 2. नीमच | . . | | (2) . . | | |
| 3. मनासा | . . | | | | |
| **जिला रतलाम :** | मिलीमीटर | 2. . . | 3. . . | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. जावरा | . . | | 4. (1) गेहूँ, चना, कपास. | 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 2. आलोट | . . | | (2) . . | | |
| 3. सैलाना | . . | | | | |
| 4. बाजना | . . | | | | |
| 5. पिपलौदा | . . | | | | |
| 6. रतलाम | . . | | | | |
| **जिला उज्जैन :** | मिलीमीटर | 2. . . | 3. कोई घटना नहीं. | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. खाचरौद | . . | | 4. (1) सोयाबीन, मक्का. | 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 2. महिदपुर | . . | | (2) . . | | |
| 3. तराना | . . | | | | |
| 4. घटिया | . . | | | | |
| 5. उज्जैन | . . | | | | |
| 6. बड़नगर | . . | | | | |
| 7. नागदा | . . | | | | |
| **जिला आगर :** | मिलीमीटर | 2. . . | 3. . . | 5. . . | 7. . . |
| 1. बड़ौद | . . | | 4. (1) सोयाबीन, मक्का, ज्वार. | 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 2. सुसनेर | . . | | (2) . . | | |
| 3. नलखेड़ा | . . | | | | |
| 4. आगर | . . | | | | |
| **जिला शाजापुर :** | मिलीमीटर | 2. . . | 3. . . | 5. . . | 7. पर्याप्त. |
| 1. मो. बड़ोदिया | 10.0 | | 4. (1) सोयाबीन, मक्का, तुअर, उड़द, मूँग समान. | 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 2. शाजापुर | 8.6 | | (2) उपरोक्त फसलें समान. | | |
| 3. शुजालपुर | . . | | | | |
| 4. कालापीपल | . . | | | | |
| 5. गुलाना | . . | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| **जिला देवास :** | मिलीमीटर | 2. . . | 3. कोई घटना नहीं. | 5. अपर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. सोनकच्छ | . . | | 4. (1) गन्ना अधिक. कपास, तिल, मूंगफली, कम. | 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 2. टोंकखुर्द | . . | | (2) . . | | |
| 3. देवास | . . | | | | |
| 4. बागली | . . | | | | |
| 5. कन्नौद | . . | | | | |
| 6. खातेगांव | . . | | | | |
| **जिला झाबुआ :** | मिलीमीटर | 2. . . | 3. . . | 5. पर्याप्त. | 7. . . |
| 1. थांदला | . . | | 4. (1) मक्का, उड़द कम. सोयाबीन, कपास, मूँगफली, धान समान. | 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 2. मेघनगर | . . | | (2) . . | | |
| 3. पेटलावद | . . | | | | |
| 4. झाबुआ | . . | | | | |
| 5. राणापुर | . . | | | | |
| **जिला अलीराजपुर :** | मिलीमीटर | 2. . . | 3. . . | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. जोवट | . . | | 4. (1) मक्का, मूंगफली, सोयाबीन, कपास अधिक. ज्वार, बाजरा, उड़द, कम. | 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 2. अलीराजपुर | . . | | (2) . . | | |
| 3. कट्टीवाड़ा | . . | | | | |
| 4. सोण्डवा | . . | | | | |
| 5. उदयगढ़ | 1.2 | | | | |
| 6. च. शेखर आ. न. | . . | | | | |
| **जिला धार :** | मिलीमीटर | 2. . . | 3. कोई घटना नहीं. | 5. पर्याप्त. | 7. . . |
| 1. बदनावर | 4.0 | | 4. (1) सोयाबीन अधिक. कपास, गन्ना, मक्का कम. | 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 2. सरदारपुर | 20.0 | | (2) . . | | |
| 3. धार | 6.0 | | | | |
| 4. कुक्षी | 5.4 | | | | |
| 5. मनावर | . . | | | | |
| 6. धरमपुरी | . . | | | | |
| 7. गंधवानी | . . | | | | |
| 8. डही | . . | | | | |
| **जिला इन्दौर :** | मिलीमीटर | 2. . . | 3. कोई घटना नहीं. | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. देपालपुर | . . | | 4. (1) . . | 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 2. सांवेर | . . | | (2) . . | | |
| 3. इन्दौर | . . | | | | |
| 4. महू (डॉ. अम्बेडकरनगर) | . . | | | | |
| **जिला खरगौन :** | मिलीमीटर | 2. . . | 3. . . | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. बड़वाह | . . | | 4. (1) मक्का, बाजरा, कपास, मूँगफली, अलसी, राई-सरसों अधिक. ज्वार, धान, तुअर, गेहूँ, चना कम. | 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 2. महेश्वर | . . | | (2) . . | | |
| 3. सेगांव | . . | | | | |
| 4. खरगौन | . . | | | | |
| 5. गोगावां | . . | | | | |
| 6. कसरावद | . . | | | | |
| 7. भगवानपुरा | . . | | | | |
| 8. भीकनगांव | . . | | | | |
| 9. झिरन्या | . . | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| **जिला बड़वानी :** | मिलीमीटर | 2. . . | 3. कोई घटना नहीं. | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. बड़वानी | . . | | 4. (1) गन्ना अधिक. | 6. संतोषप्रद, | 8. . . |
| 2. ठीकरी | . . | | (2) . . | चारा पर्याप्त. | |
| 3. राजपुर | . . | | | | |
| 4. सेंधवा | . . | | | | |
| 5. पानसेमल | . . | | | | |
| 6. पाटी | . . | | | | |
| 7. निवाली | . . | | | | |
| **जिला खण्डवा :** | मिलीमीटर | 2. . . | 3. . . | 5. पर्याप्त. | 7. . . |
| 1. खण्डवा | . . | | 4. (1) . . | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 2. पंधाना | . . | | (2) . . | चारा पर्याप्त. | |
| 3. हरसूद | . . | | | | |
| **जिला बुरहानपुर :** | मिलीमीटर | 2. . . | 3. . . | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. बुरहानपुर | 11.8 | | 4. (1) कपास, मूंगफली सुधरी हुई. | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 2. खकनार | 11.0 | | (2) . . | चारा पर्याप्त. | |
| 3. नेपानगर | 8.0 | | | | |
| ***जिला राजगढ़ :** | मिलीमीटर | 2. . . | 3. . . | 5. . . | 7. . . |
| 1. जीरापुर | . . | | 4. (1) . . | 6. . . | 8. . . |
| 2. खिलचीपुर | . . | | (2) . . | | |
| 3. राजगढ़ | . . | | | | |
| 4. ब्यावरा | . . | | | | |
| 5. सारंगपुर | . . | | | | |
| 6. पचोर | . . | | | | |
| 7. नरसिंहगढ़ | . . | | | | |
| **जिला विदिशा :** | मिलीमीटर | 2. . . | 3. . . | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. लटेरी | . . | | 4. (1) सोयाबीन उड़द. | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 2. सिरोंज | . . | | (2) . . | चारा पर्याप्त. | |
| 3. कुरवाई | . . | | | | |
| 4. बासौदा | . . | | | | |
| 5. नटेरन | . . | | | | |
| 6. विदिशा | . . | | | | |
| 7. गुलाबगंज | . . | | | | |
| 8. ग्यारसपुर | . . | | | | |
| ***जिला भोपाल :** | मिलीमीटर | 2. . . | 3. . . | 5. . . | 7. . . |
| 1. बैरसिया | . . | | 4. (1) . . | 6. . . | 8. . . |
| 2. हुजूर | . . | | (2) . . | | |
| **जिला सीहोर :** | मिलीमीटर | 2. . . | 3. . . | 5. पर्याप्त. | 7. . . |
| 1. सीहोर | 18.0 | | 4. (1) . . | 6. संतोषप्रद. | 8. पर्याप्त. |
| 2. आष्टा | . . | | (2) . . | चारा पर्याप्त. | |
| 3. इछावर | 13.0 | | | | |
| 4. नसरुल्लागंज | 15.0 | | | | |
| 5. बुधनी | . . | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| **जिला रायसेन :** | मिलीमीटर | 2. . . | 3. . . | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. रायसेन | 8.2 | | 4. (1) धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, कोदों-कुटकी, तुअर, उड़द, मूंग, तिल, मूंगफली, सोयाबीन. | 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 2. गैरतगंज | 12.2 | | | | |
| 3. बेगमगंज | . . | | | | |
| 4. गौहरगंज | 40.0 | | (2) . . | | |
| 5. बरेली | 2.6 | | | | |
| 6. सिलवानी | 15.0 | | | | |
| 7. बाड़ी | 1.0 | | | | |
| 8. उदयपुरा | 25.0 | | | | |
| **जिला बैतूल :** | मिलीमीटर | 2. . . | 3. कोई घटना नहीं. | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. भैंसदेही | 47.0 | | 4. (1) . . | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 2. घोड़ाडोंगरी | 32.9 | | (2) . . | चारा पर्याप्त. | |
| 3. शाहपुर | 21.6 | | | | |
| 4. चिचोली | 22.0 | | | | |
| 5. बैतूल | 21.8 | | | | |
| 6. मुलताई | 18.9 | | | | |
| 7. आठनेर | . . | | | | |
| 8. आमला | . . | | | | |
| **जिला होशंगाबाद :** | मिलीमीटर | 2. . . | 3. . . | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. सिवनी-मालवा | 31.6 | | 4. (1) धान, गन्ना, सोयाबीन अधिक. मूंगमोठ, उड़द कम. | 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 2. होशंगाबाद | . . | | | | |
| 3. बावई | . . | | (2) . . | | |
| 4. इटारसी | . . | | | | |
| 5. सोहागपुर | . . | | | | |
| 6. पिपरिया | 26.0 | | | | |
| 7. वनखेड़ी | 6.8 | | | | |
| 8. पचमढ़ी | 11.2 | | | | |
| **जिला हरदा :** | मिलीमीटर | 2. . . | 3. . . | 5. . . | 7. . . |
| 1. हरदा | . . | | 4. (1) . . | 6. संतोषप्रद, | 8. . . |
| 2. खिड़किया | . . | | (2) . . | चारा पर्याप्त. | |
| 3. टिमरनी | . . | | | | |
| **जिला जबलपुर :** | मिलीमीटर | 2. . . | 3. . . | 5. अपर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. सीहोरा | 11.2 | | 4. (1) तुअर अधिक. धान, मूंग, उड़द, सोयाबीन, तिल कम. | 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 2. पाटन | 3.8 | | | | |
| 3. जबलपुर | 2.2 | | (2) . . | | |
| 4. मझौली | 8.1 | | | | |
| 5. कुण्डम | 10.0 | | | | |
| **जिला कटनी :** | मिलीमीटर | 2. . . | 3. कोई घटना नहीं. | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. कटनी | 13.0 | | 4. (1) धान, तिल, तुअर, कोदों, मक्का, ज्वार, मूँग, उड़द. | 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 2. रीठी | 6.0 | | | | |
| 3. बडवारा | 94.0 | | (2) . . | | |
| 4. विजयराघवगढ़ | . . | | | | |
| 5. बहोरीबंद | . . | | | | |
| 6. ढीमरखेड़ा | 2.0 | | | | |
| 7. बरही | . . | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| ***जिला नरसिंहपुर :** | मिलीमीटर | 2. . . | 3. . . | 5. . . | 7. . . |
| 1. गाडरवारा | . . | | 4. (1) . . | 6. . . | 8. . . |
| 2. करेली | . . | | (2) . . | | |
| 3. नरसिंहपुर | . . | | | | |
| 4. गोटेगांव | . . | | | | |
| 5. तेन्दूखेड़ा | . . | | | | |
| **जिला मण्डला :** | मिलीमीटर | 2. . . | 3. . . | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. निवास | . . | | 4. (1) मक्का, सन्, तिल, धान, उड़द, तुअर कोदों-कुटकी, सोयाबीन समान. | 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 2. बिछिया | 6.0 | | | | |
| 3. नैनपुर | 8.2 | | (2) उपरोक्त फसलें समान. | | |
| 4. मण्डला | 11.4 | | | | |
| 5. घुघरी | . . | | | | |
| 6. नारायणगंज | . . | | | | |
| **जिला डिण्डोरी :** | मिलीमीटर | 2. . . | 3. . . | 5. . . | 7. पर्याप्त. |
| 1. डिण्डोरी | 18.2 | | 4. (1) मक्का, धान, सोयाबीन, कोदों-कुटकी, तुअर, उड़द, रामतिल | 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 2. बजाग | 39.0 | | | | |
| 3. शाहपुरा | 33.4 | | (2) . . | | |
| **जिला छिन्दवाड़ा :** | मिलीमीटर | 2. . . | 3. कोई घटना नहीं. | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. छिन्दवाड़ा | . . | | 4. (1) मक्का, धान अधिक. सोयाबीन कम. | 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 2. जुन्नारदेव | . . | | (2) . . | | |
| 3. परासिया | . . | | | | |
| 4. जामई (तामिया) | . . | | | | |
| 5. सोंसर | . . | | | | |
| 6. पांढुर्णा | . . | | | | |
| 7. अमरवाड़ा | . . | | | | |
| 8. चौरई | . . | | | | |
| 9. बिछुआ | . . | | | | |
| 10. हर्रई | . . | | | | |
| 11. बोलखेड़ा | . . | | | | |
| **जिला सिवनी :** | मिलीमीटर | 2.जुताई का कार्य चालू है. | 3. . . | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. सिवनी | . . | | 4. (1) धान, ज्वार, कोदों-कुटकी, मक्का, तुअर, उड़द, मूँगफली, तिल, सोयाबीन, सन, गन्ना . | 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 2. केवलारी | . . | | | | |
| 3. लखनादौन | . . | | | | |
| 4. बरघाट | . . | | (2) . . | | |
| 5. कुरई | . . | | | | |
| 6. घंसौर | . . | | | | |
| 7. घनोरा | . . | | | | |
| 8. छपारा | . . | | | | |
| **जिला बालाघाट :** | मिलीमीटर | 2. . . | 3. . . | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. बालाघाट | . . | | 4. (1) . . | 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 2. लाँजी | . . | | (2) . . | | |
| 3. बैहर | . . | | | | |
| 4. वारासिवनी | . . | | | | |
| 5. कटंगी | . . | | | | |
| 6. किरनापुर | . . | | | | |

**टीप.**— *जिला सागर, सतना, शहडोल, राजगढ़, भोपाल, नरसिंहपुर से पत्रक अप्राप्त रहे हैं.

**राजीव रंजन,**
आयुक्त,
भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.

(01)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2016.